(

[

363 , 366 , 377 , 376 (2) (6

363 , 366 , 377 , 376 (2) (

6 .

या मृत्युदंड-आयोजितः अकेले बार में कम से कम 10 साल की प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ताओं को न्यायमित्र के रूप में या किसी अभियुक्त का प्रतिनिधित्व करने के लिए कानूनी सेवाओं के माध्यम से नियुक्त किया जाता है-पुष्टि से संबंधित उच्च न्यायालय द्वारा निपटाए गए सभी मामलों में।

मृत्युदंड के मामले में, न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ताओं को पहले न्यायमित्र के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए-न्यायमित्र के रूप में नियुक्त वकील, तैयार करने के लिए कुछ उचित समय प्रदान किया जाना चाहिए।

मामला-न्यूनतम सात दिनों के समय को आम तौर पर उचित और पर्याप्त माना जा सकता है।

आपराधिक मुकदमा-त्वरित निपटान-की आवश्यकता-आयोजितः आपराधिक मामलों में शीघ्र निपटान की आवश्यकता है और यह होगा

स्वाभाविक रूप से निष्पक्ष सुनवाई की गारंटी का हिस्सा होना चाहिए-हालाँकि, प्रक्रिया में तेजी लाने का प्रयास निष्पक्षता के बुनियादी तत्वों और अभियुक्त के लिए अवसर की कीमत पर नहीं होना चाहिए-न्याय के कारण को कभी भी पीड़ित या त्याग करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जो सर्वोपरि है-इस प्रकार, प्रक्रिया में तेजी लाई जा सकती है, लेकिन प्रक्रिया में तेजी लाने के परिणामस्वरूप कभी भी आपराधिक न्याय के न्याय प्रशासन के कारण को दफन नहीं किया जाना चाहिए।

भारत का संविधानः कला. 39 ए-समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता-आयोजितः अनुच्छेद 39-ए यह सुनिश्चित करने के लिए मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है कि

आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण किसी भी नागरिक को न्याय प्राप्त करने के अवसरों से वंचित नहीं किया जाता है मुफ्त कानूनी सेवाओं का अधिकार अपराध के आरोपी व्यक्ति के लिए 'उचित, निष्पक्ष और न्यायपूर्ण' प्रक्रिया का एक आवश्यक घटक है-मुकदमा इस तरह से चलाया जाना चाहिए जो निर्दोष को दंडित करे और दोषी को दंडित करे-वकील को बचाव की तैयारी के लिए पर्याप्त और पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए-कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987।

मामले को सूचीबद्ध करने के निर्देश के साथ अपीलों का निपटारा करना

अन्य संबंधित मुद्दों पर विचार करने के लिए 18.02.2020 पर, न्यायालय

पकड़नाः 1.1 अनुच्छेद 39-संविधान में 42 वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया, जो वर्ष 1977 में प्रभावी हुआ, मुफ्त कानूनी व्यवस्था प्रदान करता है। यह सुनिश्चित करने में सहायता करना कि किसी भी नागरिक को आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण न्याय प्राप्त करने के अवसरों से वंचित न किया जाए। कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अधिनियमन सहित स्थापित वैधानिक व्यवस्था को अनुच्छेद 39-ए के अधिदेश को प्राप्त करने के लिए बनाया गया है। यह अच्छी तरह से स्वीकार किया गया है कि मुफ्त कानूनी सेवाओं का अधिकार 'उचित, निष्पक्ष और न्यायपूर्ण' [2019] 18 एस. सी. आर. का एक आवश्यक घटक है।

अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के लिए प्रक्रिया और इसे अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटीकृत अधिकार में निहित माना जाना चाहिए। का निर्णय

1.2 तत्काल मामले में, न्यायमित्र को 19.02.2013 पर नियुक्त किया गया था, और उसी तारीख को, आरोप तय करने के चरण में अभियुक्त का बचाव करने के लिए वकील को बुलाया गया था। कोई भी निश्चित रूप से कह सकता है कि न्यायमित्र के पास पर्याप्त नहीं था यहां तक कि बुनियादी दस्तावेजों को भी देखने का समय, न ही आरोपी के साथ किसी भी चर्चा या बातचीत का लाभ, और मामले पर विचार करने का समय। इस प्रकार, न्यायमित्र की पकड़ में आने से पहले ही आरोप तय कर लिए गए। [पैरा 14] [1232-ए-बी]

1.3 निचली अदालत को अपने दम पर मामले को कुछ समय के लिए स्थगित कर देना चाहिए था ताकि न्यायमित्र ऐसा कर सके।

मामले को तैयार करने के लिए पर्याप्त समय का लाभ। निचली अदालत द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण ने मुकदमे के संचालन में तेजी लाई होगी, लेकिन न्याय के उद्देश्य को आगे नहीं बढ़ाया। न केवल उसी दिन आरोप तय किए गए थे, बल्कि उसके बाद एक पखवाड़े के भीतर मुकदमा समाप्त हो गया था। इस प्रक्रिया में,

सहायता जो अपीलार्थी कानूनी सहायता के रूप में पाने का हकदार था, वास्तविक और सार्थक नहीं हो सकती थी। [पैरा 15] [1232-डी-ई]

1.4 इस मामले में अन्य मुद्दे भी उत्पन्न होते हैं, अर्थात् सात दिनों के भीतर 13 गवाहों से पूछताछ, अनोकील v.

मध्य प्रदेश राज्य

अभियोजन पक्ष द्वारा पूर्ण साक्ष्य का नेतृत्व करने से पहले ही संहिता की धारा 313 के प्रावधानों के तहत अभियुक्त की जाँच, और वर्तमान मामले में एफएसएल और डीएनए रिपोर्ट की प्रतीक्षा नहीं करना। डी. एन. ए. रिपोर्ट ने निश्चित रूप से उच्च न्यायालय द्वारा चर्चा की नींव रखी। हालांकि, रिकॉर्ड से पता चलता है कि डीएनए रिपोर्ट मामले के लगभग अंतिम चरण में प्राप्त हुई थी, और इस तरह की रसीद के बाद, हालांकि तकनीकी रूप से एक अवसर दिया गया था

अभियुक्त के लिए, मुद्दे को उसी दिन समाप्त कर दिया गया था। निचली अदालत के फैसले के समापन पैराग्राफ से पता चलता है कि पूरा मुकदमा अभियोजन पक्ष के साथ-साथ अभियोजन पक्ष की सहायता से एक महीने से भी कम समय में पूरा किया गया था। रक्षा, लेकिन, इस तरह के त्वरित निपटान ने निश्चित रूप से स्पष्ट अंतराल छोड़ दिया। [पैरा 16] [1232-एफ-एच; 1233-ए]

1.5 आपराधिक मामलों में निस्संदेह त्वरित निपटान की आवश्यकता होती है और यह स्वाभाविक रूप से निष्पक्ष सुनवाई की गारंटी का हिस्सा होगा। हालांकि, प्रक्रिया में तेजी लाने के प्रयास निष्पक्षता के बुनियादी तत्वों और आरोपी के लिए अवसर की कीमत पर नहीं होने चाहिए, जिसके आधार पर पूरा अपराधी अभिनिर्धारित करता है।

1.6 इन परिस्थितियों में, बशीरा में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार, न्यायमित्र द्वारा की गई प्रस्तुति को स्वीकार किया जाता है और यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि तत्काल मामले में अपीलार्थी का प्रतिनिधित्व करने के लिए कानूनी सेवाओं के माध्यम से नियुक्त वकील को मामले का अध्ययन करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया और उस ओर से उल्लंघन के परिणामस्वरूप न्याय की विफलता हुई। रोशनी में।

निष्कर्ष पर, अन्य पर विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है

न्यायमित्र द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियाँ। यह सावधानीपूर्वक कहा जाता है कि जिन मामलों में मृत्युदंड वैकल्पिक दंडों में से एक हो सकता है, अदालतों को पूरी तरह से सतर्क रहना चाहिए और यह देखना चाहिए कि आरोपी को हर स्तर पर पूरा अवसर दिया जाए। [पैरा 19] [1233-ई-जी] [2019] 18 एस. सी. आर.

1.7 दोषसिद्धि के निर्णयों और निचली अदालत द्वारा पारित सजा के आदेशों को दरकिनार करने में कोई संकोच नहीं है और

उच्च न्यायालय अपीलार्थी के विरुद्ध और नए सिरे से विचार करने का निर्देश देता है। निचली अदालत में अपीलार्थी का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील के लिए यह खुला रहेगा कि वह उन मुद्दों पर कोई भी दलीलें दे सकता है, चाहे वे निचली अदालत द्वारा बनाए गए आरोप हों। संशोधन की आवश्यकता है या नहीं; क्या अभियोजन पक्ष के गवाहों में से किसी को आगे की प्रतिपरीक्षा के लिए वापस बुलाने की आवश्यकता है; और क्या एफएसएल रिपोर्ट और डीएनए रिपोर्ट के जवाब में किसी विशेषज्ञ साक्ष्य की आवश्यकता है। इसके बाद इस मामले पर अभिलेख में उपलब्ध सामग्री के आधार पर विचार किया जाएगा।

कानून के अनुसार। [पैरा 20] [1233-एच; 1234-ए-बी]

1.8 कुछ मानदंड निर्धारित किए गए हैं कि उन सभी मामलों में जहां आजीवन कारावास या मौत की सजा की संभावना है, जिन अधिवक्ताओं ने अकेले बार में कम से कम 10 साल की प्रैक्टिस की है, उन्हें न्यायमित्र या कानूनी माध्यम से नियुक्त माना जाएगा।

अभियुक्त का प्रतिनिधित्व करने के लिए सेवाएं; कि मृत्युदंड की पुष्टि से संबंधित उच्च न्यायालय द्वारा निपटाए गए सभी मामलों में, न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ताओं को पहले न्यायमित्र के रूप में नियुक्त माना जाना चाहिए; कि जब भी किसी वकील को न्यायमित्र के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो मामले को तैयार करने के लिए वकील को सक्षम बनाने के लिए कुछ उचित समय प्रदान किया जा सकता है। इस संबंध में कोई कठोर और तेज़ नियम नहीं हो सकता है। हालांकि, कम से कम सात दिनों का समय आम तौर पर उचित और पर्याप्त माना जा सकता है; कि कोई भी वकील, जिसे अभियुक्त की ओर से न्यायमित्र के रूप में नियुक्त किया जाता है, उसे आम तौर पर संबंधित अभियुक्त के साथ बैठक और चर्चा करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

इस तरह की बातचीत सहायक साबित हो सकती है जैसा कि इम्तियाज़ रमजान खान में देखा गया था। [पैरा 22] [1234-डी-जी]

बशीरा बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य, [1969] 1 एस. सी. आर. 32: आकाशवाणी 1968

एस. सी. 1313 ने भरोसा किया।

मोहम्मद. हुसैन उर्फ जुल्फिकार अली बनाम। राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार), (2012) 9 एस. सी. सी. 408: [2012] 10 एस. सी. आर. 480; पुनः आल्ला नागेश्वर राव, याचिकाकर्ता ए. आई. आर. 1957 ए. पी. 505; मथाई थोमेन बनाम। राज्य ए. आई. आर. 1959 केरल 241; हुसैनारा खातून और अन्य (IV) v. गृह सचिव, बिहार राज्य, पटना (1980) 1 एससीसी 98: [2012] 6 एस. सी. आर. 1182; राजू उपनाम रमाकांत बनाम। मध्य प्रदेश राज्य प्रदेश (2012) 8 एस. सी. सी. 553; खत्री और अन्य (II) v.

अनोकिलाल वी. मध्य प्रदेश राज्य

बिहार राज्य (1981) 1 एससीसी 627: [1981] 2 एससीआर 408; सुक दास बनाम। केंद्र शासित प्रदेश अरुणाचल प्रदेश,

(1986) 2 एस. सी. सी. 401 [1986] 1 एस. सी. आर. 590; मचंदर बनाम।

हैदराबाद राज्य ए. आई. आर. 1955 एस. सी. 792: [1955] 2 एससीआर

524 ; गोपी चंद बनाम। दिल्ली प्रशासन आकाशवाणी 1959 एससी 609:

1959 सीआरएल। एल. जे. 782; टायरॉन नाज़रेथ बनाम। गोवा राज्य

(1994) 3 पूरक। एस. सी. सी. 321; एस. गुइन बनाम ग्रिंडलेज़ बैंक

लिमिटेड (1986) 1 एससीसी 654: [1985] 3 पूरक। एससीआर 818; अब्दुल रहमान अंतुले बनाम। आर. एस. नायक (1992) 1 एससीसी

225 : [1991] 3 पूरक। एससीआर 325; हुसैनारा खातून (1) वी. बिहार राज्य (1980) 1 एस. सी. सी 81: [1979] 3 एससीआर

169 ; हुसैनारा खातून (3) बनाम। बिहार राज्य (1980)

1 एस. सी. सी. 93; रघुबीर सिंह बनाम बिहार राज्य (1986) 4

एस. सी. सी. 481; कर्तार सिंह बनाम। पंजाब राज्य (1994) 3

गुजरात (2004) 4 एस. सी. सी. 158; अंकुश मारुति शिंदे और अन्य वी। महाराष्ट्र राज्य, (2009) 6 एससीसी 667;

अंबादास लक्ष्मण शिंदे और अन्य बनाम। की स्थिति

महाराष्ट्र (2018) 14 स्केल 730: (2018) 18 एससीसी

788 ; अंकुश मारुति शिंदे और अन्य बनाम। की स्थिति

महाराष्ट्र (2019) एससीसी ऑनलाइन एससी 317; इम्तियाज रमजान खान बनाम। महाराष्ट्र राज्य (2018) 9 एससीसी

160 ; इम्तियाज़ रमजान खान बनाम। महाराष्ट्र राज्य

(2018) 9 एस. सी. सी. 163; वी. के. शशिकल बनाम। राज्य का प्रतिनिधित्व

पुलिस अधीक्षक द्वारा (2012) 9 एस. सी. सी. 771 -

संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

2012) 9 एस. सी. सी. 408

पैरा 6

संदर्भित किया गया है

संदर्भित किया गया है

आकाशवाणी 1957 एपी 505

पैरा 7

आकाशवाणी 1959 केरल 241

संदर्भित किया गया है

पैरा 7

1980) 1 एससीसी 98

संदर्भित किया गया है

पैरा 8 और 10

2012) 8 एस. सी. सी. 553

संदर्भित किया गया है

पैरा 9

1981) 1 एस. सी. सी. 627

पैरा 9

संदर्भित किया गया है

1986) 2 एस. सी. सी. 401

संदर्भित किया गया है

पैरा 9

1955] 2 एससीआर 524

संदर्भित किया गया है

पैरा 10

ए. आई. आर 1959 एस. सी. 609

संदर्भित किया गया है

(1994) 3 पूरक। एस. सी. सी. 321

संदर्भित किया गया है

पै

रा 10

(1986) 1 एस. सी. सी. 654

संदर्भित किया गया है

पै

रा 10

(1992) 1 एससीसी 225

संदर्भित किया गया है

पै

रा 10

(1980) 1 एस. सी. सी 81

संदर्भित किया गया है

पै

रा 10

(1980) 1 एससीसी 93

संदर्भित किया गया है

पै

रा 10

(1986) 4 एस. सी. सी. 481

पै

रा 10

संदर्भित किया गया है

(1994) 3 एस. सी. सी. 569

संदर्भित किया गया है

पै

रा 10

(2004) 4 एससीसी 158

संदर्भित किया गया है

पै

रा 10

(2009) 6 एस. सी. सी. 667

पै

रा 11

संदर्भित किया गया है

(2018) 14 स्केल 730

पै

रा 11

संदर्भित किया गया है

(2018) 9 एससीसी 160

पै

रा 12

संदर्भित किया गया है

(2018) 9 एससीसी 163

संदर्भित किया गया है

पै

रा 12

[1969] 1 एससीआर 32

पै

रा 13,19

उस पर भरोसा करें

(2012) 9 एस. सी. सी. 771

संदर्भित किया गया है

पै

रा 17

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील

नं. 62-63 2014 से।

उच्च न्यायालय के 27.06.2013 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2013 की आपराधिक संदर्भ संख्या 4 और 2013 की आपराधिक अपील No.748 में जबलपुर में मध्य प्रदेश की अदालत।

वरुण चोपड़ा, डी. एजी, सिद्धार्थ लूथरा, सुश्री सोनिया माथुर,

श्री एड. , अनूपम एन. प्रसाद, सुश्री महक जग्गी, सुश्री केवी भारती उपाध्याय, गुरतेजपाल सिंह, हर्ष पराशर, सुशील कुमार दुबे, सुश्री दिव्या ए. नायर, पुनीत पाठक, अनुज अग्रवाल, अनमोल चंदन, सुश्री प्रियंका दास, सुमित उपाध्याय, अरविंद कुमार शर्मा, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

अनोकिलाल वी. मध्य प्रदेश राज्य

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

उदय उमेश ललित, जे।

1. विशेष अनुमति द्वारा ये अपील आपराधिक मामले में उच्च न्यायालय 1 द्वारा पारित अंतिम निर्णय और दिनांक 27.06.2013 के आदेश को चुनौती देती हैं। 2013 की संदर्भ संख्या 4 और 2013 की आपराधिक अपील No.748।

2. इन अपीलों के प्रयोजनों के लिए प्रासंगिक तथ्य, संक्षेप में, निम्नानुसार हैं:

(ए) 30.01.2013 पर एक रामलाल द्वारा गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि उसकी नौ साल की बेटी (जिसके बाद 'पीड़ित' के रूप में संदर्भित) शाम 6 बजे से लापता थी और अपीलकर्ता, उसके पड़ोसी ने पीड़ित को किराना की दुकान से बीड़ी लेने के लिए भेजा था, लेकिन पीड़ित कभी वापस नहीं आया। इस रिपोर्टिंग के अनुसार, 2013 की एफ. आई. आर. No.38 थी

भारतीय दंड संहिता की धारा 363,366 के तहत अपराधों के लिए पुलिस स्टेशन चाईगांव माखन, खंडवा में 30.01.2013 पर पंजीकृत। 1860 (' आई. पी. सी. ', संक्षेप में) अपीलार्थी के खिलाफ।

(बी) पीड़ित का शव एक खुले मैदान में पाया गया था

अदालत और मामला 18.2.2013 पर सत्र अदालत को सौंपा गया था। मामला 19.02.2013 के लिए पोस्ट किया गया था ताकि यह विचार किया जा सके कि क्या आरोप बनाए जाने चाहिए या नहीं।

((घ) ऐसा प्रतीत होता है कि चूंकि अपीलार्थी की ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ था, इसलिए 18.02.2013 पर एक विद्वान अधिवक्ता उपस्थित था। 19.02.2013 पर अपीलार्थी का प्रतिनिधित्व करने के लिए कानूनी सहायता सेवा प्राधिकरण द्वारा नियुक्त। हालाँकि, वह विद्वान अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए

19.02.2013 जब मामला चलाया गया, और इस तरह एक अन्य विद्वान अधिवक्ता को अपीलार्थी का प्रतिनिधित्व करने के लिए कानूनी सहायता सेवाओं के माध्यम से नियुक्त किया गया। इस तरह की नियुक्ति 19.02.2013 पर की गई थी और उसी दिन अपीलार्थी के खिलाफ आई. पी. सी. की धारा 302,363,366,376 (2) (एफ) और 377 और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 4,5 और 6 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आरोप तय किए गए थे।

(ई) अगले सात दिनों में यानी 26.2.2013 द्वारा अभियोजन पक्ष के सभी तेरह गवाहों से पूछताछ की गई।

(एफ) इसके बाद, मामले को 27.2.2013,28.2.2013,013,2.3.2013 और 4.3.2013 पर निपटाया गया और ट्रायल कोर्ट द्वारा आदेश पारित किए गए।

:

" (i) 27.02.2013

अभियोजन पक्ष ने कहा कि वह कोई अन्य मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना चाहता है, यह अनुरोध किया गया है कि डी. एन. ए. रिपोर्ट और एफ. एस. एल. रिपोर्ट प्राप्त होने पर उन्हें रिकॉर्ड में रखा जाएगा, जो तुरंत प्राप्त की जानी है, कोई अन्य मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जाना है और उपरोक्त रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर रखने के अलावा, शेष साक्ष्य को समाप्त घोषित कर दिया गया।

उपलब्ध साक्ष्य के लिए धारा 313 Cr.P.C के तहत अभियुक्त से पूछताछ करना न्यायसंगत और उचित होगा। इसलिए, आरोपी से धारा 313 Cr.P.C के तहत पूछताछ की गई। बचाव में प्रवेश करने पर, आरोपी ने कहा कि वह बचाव में कोई सबूत पेश नहीं करना चाहता है। धारा 232 (2) Cr.P.C के तहत कोई लिखित बयान दायर नहीं किया गया है।

डी. एन. ए. रिपोर्ट आदि और अंतिम तर्कों को रिकॉर्ड में रखने के लिए 28.02.2013 लगाएँ।

एस. डी./-

(अवैध)

सत्र न्यायाधीश और विशेष न्यायाधीश

यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण के तहत

अधिनियम,

खंडवा अनोकिलाल बनाम। मध्य प्रदेश राज्य [उदय उमेश ललित, जे.]

((ii) 28.02.2013

श्री बी. एल. मंडलोई पी. पी. के माध्यम से राज्य करें।

अभियुक्त अनोखीलाल न्यायिक हिरासत से उपस्थित है। उनकी ओर से श्री डी. एस. चौहान अधिवक्ता उपस्थित थे।

एफएसएल रिपोर्ट के साथ अभियोजन पक्ष की ओर से एक आवेदन दायर किया गया था। प्रतियाँ प्रदान की गईं। दलीलें सुनीं। चूंकि उपरोक्त आवेदन की अनुमति देने और एफएसएल रिपोर्ट के ऊपर रिकॉर्ड लेने के संबंध में कोई प्रभावी आपत्ति नहीं है और यहां तक कि

अन्यथा ये न्याय प्रदान करने में सहायक हो सकते हैं, इसलिए रिपोर्ट

रिकॉर्ड में लिया जाता है।

उपरोक्त रिपोर्ट धारा 293 Cr.P.C के तहत स्वीकार्य हो सकती हैं।

इस आधार पर उपरोक्त रिपोर्टों पर प्रदर्शनी को चिह्नित करने का अनुरोध किया गया था। बचाव पक्ष ने इस संबंध में कोई आपत्ति नहीं जताई है, इसलिए दोनों पक्षों की सहमति से उपरोक्त रिपोर्ट क्षेत्रीय द्वारा प्रस्तुत की गई है।

फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला झुमारघाट राउ इंदौर (एम. पी.) को अतिरिक्त के रूप में चिह्नित किया गया है। सी-1, सी-2 और सी-3।

अभियोजन पक्ष को अभी तक डी. एन. ए. रिपोर्ट नहीं मिली है, इसे प्राप्त होने पर रिकॉर्ड में रखा जाएगा, यह कहते हुए कि पहले की तरह यह कहा गया था कि कोई अन्य सबूत पेश नहीं किया जाना है, इसलिए मामले में अंतिम दलीलें सुनना शुरू हुआ, जो अधूरा रहा।

डी. एन. ए. रिपोर्ट को रिकॉर्ड में रखने के लिए 01.03.2013 पर रखें और अंतिम तर्क दें।

एसडी /

सत्र न्यायाधीश

खंडवा

(iii) 01.03.2013

श्री बी. एल. मंडलोई पी. पी. के माध्यम से राज्य करें।

अभियुक्त अनोखीलाल न्यायिक हिरासत से उपस्थित है। उनकी ओर से श्री डी. एस. चौहान अधिवक्ता उपस्थित थे।

अभियोजन पक्ष को डी. एन. ए. रिपोर्ट नहीं मिली है, उसे रसीद पर रिकॉर्ड में रखा जाएगा।

बाकी अंतिम दलीलों की सुनवाई शुरू हुई जो बाकी रह गई। अधूरा है।

सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

डी. एन. ए. रिपोर्ट और बाकी अंतिम तर्कों को रिकॉर्ड में रखने के लिए 02.03.2013 पर रखें।

एसडी /

सत्र न्यायाधीश

खंडवा

अभियुक्त पर यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 9 के तहत मुकदमा चलाया जा रहा है और उपरोक्त अधिनियम की धारा 5 (एफ) के प्रावधानों के अनुसार, आईपीसी की धारा 377 के तहत यौन अपराध के लिए पूर्व दोषसिद्धि की स्थिति भी है। स्पष्ट और उपरोक्त तथ्य में आरोप संख्या 8 का उल्लेख इस इरादे से किया गया है कि पहले आई. पी. सी. की धारा 377 के तहत यौन अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने के बावजूद, लेकिन उपरोक्त आरोप में दोषसिद्धि के संबंध में समय और स्थान आदि का उल्लेख नहीं किया गया है

धारा 211 (7) Cr.P.C के प्रावधानों के अनुसार। इसलिए, जैसा कि धारा 211 (7) Cr.P.C के तहत प्रदान किया गया है। न्यायालय दोषसिद्धि का आदेश पारित करने से पहले तथ्य, तिथि और दोषसिद्धि के स्थान का विवरण जोड़ सकता है, इसलिए इस संबंध में दोनों पक्षों की सुनवाई की गई। इससे पहले पिछली दोषसिद्धि के निर्णय की प्रति दाखिल नहीं की गई थी जिसके कारण धारा 313 के तहत जांच के दौरान प्रभारी तिथि, स्थान आदि का उल्लेख नहीं किया गया था और इस संबंध में प्रश्न में तारीख, समय और स्थान आदि के साथ निर्णय की प्रति का संदर्भ देते हुए दोषसिद्धि पारित की गई थी और अपील दायर की गई थी या नहीं, इस संबंध में स्पष्ट प्रश्न पूछे गए थे, इसलिए यह भी नहीं दर्शाता है कि तकनीकी दोष से बचने के लिए आरोपी पर कोई पूर्वाग्रह पैदा किया गया है, धारा 211 (7) <ID1 के प्रावधानों के अनुसार. आरोप को संशोधित किया गया था और संशोधित आरोप को पढ़ा गया था और आरोपी को समझाया गया था और उसकी याचिका दर्ज की गई थी।

संशोधित आरोप के संबंध में दोनों पक्षों को अतिरिक्त साक्ष्य/प्रतिपरीक्षा का अवसर देना उचित और उचित होगा, इस संबंध में दोनों पक्षों को सूचित किया गया था। आज अभियोजन पक्ष द्वारा कुछ अतिरिक्त दस्तावेजों, लेखों आदि को अभिलेख पर रखने से अतिरिक्त साक्ष्य और आवेदन अनोकिल v.

मध्य प्रदेश राज्य [उदय उमेश ललित, जे.]

धारा 311 Cr.P.C के तहत दायर किया गया है। इसके अलावा, उन्होंने प्रभारी संशोधन के संबंध में कोई अन्य अतिरिक्त सबूत पेश नहीं करने के लिए कहा। दूसरी ओर बचाव पक्ष ने भी इस संबंध में कहा कि वह पहले से ही जांचे गए किसी भी गवाह से जिरह नहीं करेगा और बचाव में कोई अतिरिक्त सबूत या सबूत प्रस्तुत नहीं करेगा। अभियोजन पक्ष ने सीलबंद में मामले से संबंधित लेख प्रस्तुत किए

धारा 311 Cr.P.C के तहत शर्त और दस्तावेजों के साथ एक आवेदन दायर किया गया था। प्रतिलिपि प्रदान की गई। दलीलें सुनी गईं।

प्राप्त डीएनए रिपोर्ट और संवाददाता दाखिल करने का प्रस्ताव है।

एफ. एस. एल./डी. एन. ए. और उपरोक्त संबंध में भी जांच अधिकारी के. के. मिश्रा (पी. डब्ल्यू.-13) और हेड कांस्टेबल पी. डब्ल्यू.-12 की फिर से जांच करने का अनुरोध किया गया है और तदनुसार अनुमति मांगी गई है। यह कहा गया है कि संबंधित दस्तावेज और रिपोर्ट देरी से प्राप्त हुई थी और इसे जल्द से जल्द दाखिल किया गया था और उपरोक्त से संबंधित इस पत्राचार के आधार पर अब दाखिल किया जा रहा है। यह है।

यह उल्लेख किया गया है कि डी. एन. ए. रिपोर्ट 01.03.2013 पर ही प्राप्त हुई थी, इसलिए बहस के दौरान इस तरह से प्रकट किए गए कारण पर विचार करते हुए बचाव पक्ष ने कोई प्रभावी आपत्ति नहीं उठाई है, इसलिए आवेदन

खड़े होने की अनुमति है और संबंधित दस्तावेजों को रिकॉर्ड में लिया जाता है और गवाह के. के. मिश्रा पीडब्लू-13 और हरि करण पीडब्लू-12 से फिर से पूछताछ की अनुमति है। लोक अभियोजक द्वारा यह कहा गया है कि उपरोक्त गवाह आज मौजूद हैं, इसलिए, दोनों गवाहों से ऊपर थे

बचाव पक्ष की सहमति से अतिरिक्त जांच की गई और उन्हें फिर से जांच के बाद छुट्टी दे दी गई। अभियोजन पक्ष ने कहा कि कोई अन्य सबूत पेश नहीं करने से उसके सबूत बंद हो गए।

इस प्रकार दाखिल की गई वस्तु का पैकेट सीलबंद स्थिति में है, जिसे दोनों पक्षों की उपस्थिति में खोला गया था। साक्ष्य के बाद इसे संपत्ति के ज्ञापन के साथ विधिवत सील करके मालखाने में जमा किया जाए।

अतिरिक्त साक्ष्य के संबंध में इस प्रकार प्रस्तुत अभियुक्त की धारा 313 Cr.P.C के तहत फिर से जांच की गई। बचाव में, अभियुक्त ने बचाव में कोई सबूत पेश नहीं करने के लिए कहा और न ही धारा 232 (2) Cr.P.C के तहत कोई लिखित बयान दायर किया गया था और इस तरह बचाव ने अपने सबूत को बंद कर दिया। फाइनल के लिए फिर से तैयारी करें

तर्क।

सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एसडी /

सत्र न्यायाधीश और विशेष न्यायाधीश

यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण के तहत

एक्ट, खंडवा

एक बार फिर

श्री बी. एल. मंडलोई पी. पी. के माध्यम से राज्य करें।

अभियुक्त अनोखीलाल न्यायिक हिरासत से उपस्थित है। उनकी ओर से अधिवक्ता श्री डी. एस. चौहान उपस्थित थे।

अंतिम तर्क सुने। निर्णय के लिए 04.03.2013 पर रखें।

एसडी /

सत्र न्यायाधीश और विशेष न्यायाधीश

यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण के तहत

एक्ट, खंडवा

(v) 4.3.2013

श्री बी. एल. मंडलोई पी. पी. के माध्यम से राज्य करें।

सजा के सवाल पर दलीलें सुनी गईं। यह था। दोनों पक्षों को सूचित किया गया कि यदि वे चाहें, तो वे सजा के आदेश के संबंध में सबूत पेश कर सकते हैं।

अभियुक्त की पूर्व दोषसिद्धि और उसके पिछले आपराधिक आचरण, इसलिए अब वह दोषसिद्धि के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना चाहता है। दूसरी ओर, बचाव पक्ष के विद्वान वकील श्री डी. एस. चौहान ने कहा है कि पूरे मुकदमे के दौरान अभियुक्त के परिवार का कोई भी सदस्य और उसके आचरण के संबंध में उपस्थित नहीं हुआ है।

मध्य प्रदेश राज्य [उदय उमेश ललित, जे.]

जेल अभियोजन पक्ष स्वयं पहले ही प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत कर चुका है, इसलिए उसने सजा के आदेश के संबंध में कोई सबूत प्रस्तुत नहीं करने के लिए कहा, फिर भी दोनों पक्षों को सूचित किया गया कि यदि वे इस संबंध में कोई सबूत प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो वे ऐसा कर सकते हैं। के द्वारा

दोनों पक्षों को उपरोक्त जानकारी देते हुए सजा के क्रम के संबंध में विस्तृत दलीलें सुनी गईं। सजा के क्रम के लिए कुछ समय बाद फिर से पेश करें।

एसडी /

सत्र न्यायाधीश और विशेष न्यायाधीश

यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण के तहत

एक्ट,

खंडवा

एक बार फिर

श्री बी. एल. मंडलोई पी. पी. के माध्यम से राज्य करें।

दोनों पक्षों ने फिर से सजा के आदेश के संबंध में कोई सबूत पेश नहीं करने के लिए कहा, इसलिए सजा का आदेश सुनाया गया अलग से खुली अदालत में जिसके अनुसार अभियुक्त को दोषी ठहराया जाता है और आरोपों के संबंध में निम्नलिखित सजा दी जाती हैः

नहीं। अपराध

का वाक्य

डिफ़ॉल्ट

रूप से

ठीक है।

यू/एस

कठोर

का भुगतान

ठीक है,

अतिरिक्त

कारावास

वाक्य

कठोरता

कारावास

1 .

मृत्यु।

302 आईपीसी

आई.

-

वाक्य

सात साल

1000 / - एक महीना।

2 .

363 आईपीसी

सात साल

3 .

366 आईपीसी

एक महीना।

1000 /

सात साल

एक महीना।

377 आईपीसी

4 .

1000 /

376 (2) आई. पी. सी। जीवन

एक महीना।

5 .

1000 /

समान कार्य होने के कारण कोई अलग सजा नहीं दी जा रही है।

बच्चों के संरक्षण की धारा 6 के तहत अपराध के लिए यौन अपराध अधिनियम, 2012।

जेल भेज दिया। अभियुक्त को मौत की सजा भी सुनाई गई है और उपरोक्त मामले में

धारा 366 Cr.P.C के अनुसार यह भी निर्देश दिया गया है कि

मृत्युदंड का निष्पादन तब तक नहीं किया जाना चाहिए जब तक इसकी पुष्टि नहीं की जाती है

माननीय उच्च न्यायालय, इसलिए उस संबंध में प्रावधान के अनुसार

धारा 366 (2) Cr.P.C. अभियुक्त को सौंपने का वारंट

जेल की हिरासत में लेने के लिए मौत की सजा सुनाई गई, संलग्न है

वारंट के साथ अलग से। फैसले की प्रति अभियुक्त को दी जाती है।

और धारा 363 (4) Cr.P.C के प्रावधानों के अनुसार अभियुक्त।

इस मामले का पूरा रिकॉर्ड माननीय के समक्ष रखने के लिए भेजा जाए। उच्च न्यायालय ने मृत्युदंड की पुष्टि के लिए तुरंत

धारा 366 Cr.P.C के प्रावधान।

एसडी /

सत्र न्यायाधीश और विशेष न्यायाधीश

यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण के तहत

एक्ट, खंडवा

(जी) अपने निर्णय और दिनांक 4.3.2013 के आदेश में, विचारण न्यायालय

अभियोजन पक्ष का मामला दर्ज किया और कहाः

" 65. उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि वर्तमान मामले में

राजेन्द्र प्रहलादराव वासनिक के न्यायिक उद्धरण जैसे समान तथ्य हैं

'दुर्लभतम से दुर्लभतम' मामले की श्रेणी में और उससे अधिक

वर्तमान मामले का आरोपी यौन अपराध में पूर्व दोषी है

समान प्रकृति। इसलिए, उपरोक्त विश्लेषण को ध्यान में रखते हुए दंड लगाया जाता है।

केवल आजीवन कारावास और मृत्यु पर्याप्त नहीं हो सकती है। सजा आवश्यक है।

66. आरोपी सीताराम के बेटे अनोखीलाल को दोषी ठहराया गया है।

धारा 363,366,376 (2) (च), 377 के तहत दंडनीय अपराध और

302 आई. पी. सी. और यौन से बच्चों के संरक्षण की धारा 6

अतः किए गए विश्लेषण के अनुसार अपराध अधिनियम, 2012:

(एक) आई. पी. सी. की धारा 307 के तहत अपराध के लिए अभियुक्त अनोखीलाल

सीताराम के बेटे को 'मौत की सजा' दी जाती है। गाँठ बाँधकर गर्दन, उसे उसकी मृत्यु तक फांसी दी जाए। यह भी निर्देशित किया गया है कि एनोखीलाल बनाम।

(दो) आई. पी. सी. की धारा 363 के तहत अपराध के लिए आरोपी को सात साल के सश्रम कारावास की सजा के साथ-साथ Rs.1000/- के जुर्माने की सजा सुनाई जाती है, जुर्माने का भुगतान न करने पर उसे एक और महीने के सश्रम कारावास से गुजरने का निर्देश दिया जाता है। (3) आई. पी. सी. की धारा 366 के तहत अपराध के लिए, अभियुक्त को सात साल के कठोर कारावास और 1,000/- रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई जाती है, जुर्माने का भुगतान न करने पर अभियुक्त को एक और महीने के कठोर कारावास से गुजरने का निर्देश दिया जाता है।

(चार) आई. पी. सी. की धारा 376 (2) (एफ) के तहत अपराध के लिए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा और Rs.1000/- के जुर्माने की सजा सुनाई जाती है, जुर्माने का भुगतान न करने पर उसे एक और महीने के कठोर कारावास से गुजरने का निर्देश दिया जाता है।

(छह) अधिनियम की धारा 42 के प्रावधानों पर विचार करते हुए, जहां इसी तरह के कार्य के लिए आरोपी को अधिनियम और आई. पी. सी. की धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया है, तो उसे अधिक सजा वाले अपराधों के लिए और इस संबंध में धारा 71 के सिद्धांत के लिए सजा दी जानी चाहिए। आई. पी. सी. भी पठनीय है और आई. पी. सी. की धारा 376 (2) (एफ) और अधिनियम की धारा 6 में आजीवन कारावास और न्यूनतम 10 साल के कठोर कारावास की सजा का प्रावधान है।

और इसी तरह के कार्य के लिए, आईपीसी की धारा 376 (2) (एफ) और धारा 377 के तहत भी अपराध के लिए सजा का आदेश पारित किया जा रहा है, इसलिए संरक्षण की धारा 6 के तहत अपराध के लिए सजा का अलग आदेश दिया गया है।

67. अभियुक्त 04.02.2013 के बाद से निरोध में है, इसलिए मुकदमे के दौरान निरोध में उसके द्वारा बिताई गई अवधि का प्रमाण पत्र धारा 428 Cr.P.C के प्रावधानों के अनुसार वारंट के साथ संलग्न किया जाए, जिसका उपयोग धारा 428 Cr.P.C के तहत या धारा में दिए गए दंडादेश की गणना के लिए आवश्यकता के अनुसार किया जा सकता है। 433 Cr.P.C।

सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

68. जुर्माने के भुगतान पर, जुर्माने की पूरी राशि का अर्थ है Rs.4000 /

जब तक कि अन्यथा निर्देश नहीं दिया जाता है, अपील की अवधि समाप्त होने के बाद भुगतान किया जाएगा।

शांतूबाई पीडब्लू-मृतक की 3 माता को मुआवजे के रूप में।

69. धारा 366 Cr.P.C के प्रावधानों के अनुसार।

मामले के अभिलेख और कार्यवाही को माननीय के समक्ष रखा जाए। उच्च न्यायालय, जबलपुर को मृत्युदंड और मृत्युदंड की पुष्टि के लिए तब तक निष्पादित नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि इसकी पुष्टि माननीय मध्य प्रदेश द्वारा नहीं की जाती है।

प्रदेश उच्च न्यायालय और उपरोक्त में अभियुक्त को हिरासत में रखने के लिए

अवधि उसे जेल के लिए उपरोक्त संबंध में वारंट के साथ सौंपा जाए

अभिरक्षा।

70. मैं घटना के संबंध में सभी की सहायता के लिए सराहना करता हूं।

जो गिरफ्तारी के बाद 30-31 जनवरी की आधी रात को हुआ

04.02.2013 पर आरोपी, तुरंत जाँच पूरी कर रहा है

18 फरवरी को आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया और अभियोजन पक्ष ने 19 फरवरी से पूरे साक्ष्य को प्रस्तुत करके त्वरित सुनवाई सुनिश्चित की। फरवरी से 02 मार्च, 2013 तक और विशेष रूप से बचाव की सहायता के लिए क्योंकि घटना के केवल 1 महीने के भीतर मामले का निपटारा सुनिश्चित किया जाता है।

केवल उपरोक्त सहायता और केवल 12 में परीक्षण पूरा करने के कारण

कार्य दिवस संभव हो सकते हैं।

(ज) आपराधिक संदर्भ सं. 4/2013 तदनुसार दर्ज किया गया था

मृत्युदंड की पुष्टि के लिए उच्च न्यायालय। अपीलार्थी भी

2013 की आर. आर. डी. आपराधिक अपील No.748 ने उनकी दोषसिद्धि को चुनौती दी। उच्च न्यायालय ने वर्तमान में आई. एल. के तहत अपने निर्णय और आदेश द्वारा, निचली अदालत द्वारा लिए गए दृष्टिकोण की पुष्टि की और निचली अदालत द्वारा लगाई गई मौत और अन्य सजाओं को बरकरार रखा। यह देखा गया

ई उच्च न्यायालय निम्नानुसारः

इस प्रकार, पीड़ित को आखिरी बार आरोपी के साथ जीवित देखा गया था।

" 8 . कीर्ति बाई द्वारा, जिनके साक्ष्य से पता चलता है कि पीड़ित और अभियुक्त को अपराध के समय और तिथि के निकट समय पर एक साथ देखा गया था। इसके अलावा घटना के बाद नहीं

एक ने आरोपी को अकेला देखा क्योंकि वह भाग गया था। हम हैं,

इसलिए, यह विचार कि अभियोजन पक्ष ने सफलतापूर्वक

अभियुक्त के खिलाफ। 9. हम यह भी पाते हैं कि डी. एन. ए. फिंगर प्रिंटिंग यूनिट की रिपोर्ट, Ex.58, पूरी तरह से अभियुक्त को एन. ओ. के. आई. एल. वी. के कमीशन से जोड़ती है।

मध्य प्रदेश राज्य [उदय उमेश ललित, जे.]

अपराध। रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पीड़ित की मुट्ठी से जब्त किए गए बाल और पीड़ित के कटे हुए नाखूनों में पाई गई त्वचा की थी

अभियुक्त। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि पीड़ित के पैजामा पर पाया गया वीर्य आरोपी का था। इतना ही नहीं, रिपोर्ट के अनुसार, आरोपी के अंडरवियर पर पाया गया खून पीड़ित का था। पीड़ित के शव का अंतिम संस्कार 1.2.2013 पर किया गया था जबकि आरोपी को 4.2.2013 पर गिरफ्तार किया गया था। इसलिए, पीड़ित के खून के होने की कोई संभावना नहीं थी।

अभियुक्त के जब्त किए गए अंडरवियर को पहनें।

.....

11. अभिलेख पर साक्ष्य स्पष्ट रूप से स्थापित करता है कि आरोपी रामलाल के परिवार का करीबी था और पीड़ित ने उस पर भरोसा किया था। इसलिए, उसके कहने पर वह तुरंत एक किराना की दुकान से उसके लिए "बीड़ी" खरीदने के लिए दौड़ी। इसके बाद आरोपी ने अपराध करने के लिए पूर्व नियोजित दिमाग से पीड़िता का पीछा किया। आरोपी ने पीड़ित के विश्वास का लाभ उठाते हुए, उसका अपहरण करने और क्रूर बलात्कार और शारीरिक यौन संबंध बनाने के बाद उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। पीड़ित के शरीर पर कई चोटें इसकी गवाही देती हैं। तथ्य। उसने पीड़ित के शव को खेत में फेंक दिया। इससे पहले भी, आरोपी को एक छोटे लड़के के साथ शारीरिक यौन संबंध बनाने के लिए 21.10.2010, Ex.49 के फैसले के माध्यम से दोषी ठहराया गया था। इस प्रकार, नौ साल की एक निर्दोष असहाय लड़की के साथ अत्यधिक दुराचार दिखाने वाला बर्बर व्यवहार किया गया और आम आदमी के मन में घृणा की भावना पैदा हुई। हम महसूस करते हैं कि किया गया अपराध "दुर्लभतम से दुर्लभतम" मामलों की कसौटी को संतुष्ट करता है। इसलिए हम मौत की सजा और मुकदमे द्वारा लगाई गई अन्य सजाओं को भी बरकरार रखते हैं।

अदालत "।

3. इस न्यायालय में इन अपीलों के लंबित रहने के दौरान, इस न्यायालय द्वारा अपने दिनांक 12.12.2018 के आदेश में निम्नानुसार कहा गया थाः

" वर्तमान मामले में उत्पन्न होने वाले मुद्दों में से एक अनुपालन है

(2018 में संशोधित) Cr.P.C की धारा 309 (1) के प्रावधान द्वारा निर्धारित वैधानिक समय सीमा के साथ। वह खंड 60 दिनों की समय सीमा प्रदान करता है जिसके भीतर परीक्षण पूरा होना चाहिए। इस संदर्भ में, हम साक्ष्य दर्ज करने के उद्देश्य से वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग करने की संभावना का पता लगाना उचित समझते हैं क्योंकि यह माना जाता है कि इस तरह के उपयोग से गवाहों को अदालत में बुलाने में लगने वाला समय समाप्त हो जाएगा।

हालांकि, बार में एक आशंका व्यक्त की गई है कि पूरे परीक्षण के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा हमेशा उपलब्ध नहीं होती है देश के विभिन्न हिस्सों में और वर्तमान अत्याधुनिक स्थिति में,

इस पर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि

हम राष्ट्रीय स्तर पर सुनना उचित समझते हैं

इस मामले में सूचना विज्ञान केंद्र (एन. आई. सी.) और न्याय विभाग। तदनुसार, नोटिस जारी करें।

4. जब ये अपीलें अंतिम सुनवाई के लिए आईं, तो विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ लूथरा ने कुछ मुद्दों पर प्रकाश डाला।

सर्वोच्च न्यायालय कानूनी सेवा प्राधिकरण की ओर से अपीलार्थी की ओर से पेश हुए। उनके अनुसार, जिस तरह से मुकदमा चलाया गया था, उसमें कोई निष्पक्षता नहीं थी और अपीलार्थी-अभियुक्त के हित को एक से अधिक मामलों में पूर्वाग्रह में डाल दिया गया था। इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 10.12.2019 के आदेश में मुख्य प्रस्तुतिकरण निम्नानुसार दर्ज किया गया थाः

इसलिए, बहुत स्पष्ट हैंः
क) विद्वान न्यायमित्र की नियुक्ति उसी दिन की गई थी जब आरोप तय किए गए थे, जिसका प्रभावी अर्थ है कि विद्वान न्यायमित्र के पास पर्याप्त नहीं था।

न ही उसे मामले का अध्ययन करने का अवसर मिला और न ही उसे आरोपी के साथ कोई बातचीत करने का अवसर मिला।

निर्देश;

दिनांकित 12.12.2018 आदेश में उल्लिखित अन्य मुद्दों को संदर्भित किया गया था लेकिन यह देखा गया थाः

" जैसा कि वर्तमान में सलाह दी गई है, हम पहले वर्तमान मुकदमे से संबंधित मुद्दे पर विचार करेंगे और क्या वर्तमान मामले में निचली अदालत द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण को स्वीकार किया जा सकता है या क्या वर्तमान मामले में दृष्टिकोण अपनाने में निचली अदालत की ओर से कोई उल्लंघन या त्रुटि थी। अन्य मुद्दे, अर्थात्

धारा 309 की प्रयोज्यता और वीडियो रखने की सलाह

इस मामले में सम्मेलन को बाद के चरण में निपटाया जाएगा और इन मुद्दों पर विचार, अभी के लिए, स्थगित कर दिया गया है।

5. इस प्रकार वर्तमान में विचार ऊपर बताए गए मुद्दे तक ही सीमित है। 6. श्री सिद्धार्थ लूथरा, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, ने अपनी दलीलों के समर्थन में इस अदालत के कुछ फैसलों पर भरोसा किया और विशेष रूप से, अनोकिल v.

मध्य प्रदेश राज्य [उदय उमेश ललित, जे.]

बशीरा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2 और मोहम्मद। हुसैन उर्फ जुल्फिकार अली बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार) 3. हालाँकि, राज्य की ओर से पेश उप महाधिवक्ता श्री वरुण चोपड़ा ने प्रस्तुत किया कि अभिलेख पर साक्ष्य, बिना किसी संदेह के, अभियुक्त के अपराध की ओर इशारा करते हैं और इस प्रकार नीचे दी गई अदालतों द्वारा दर्ज किया गया दोषसिद्धि का आदेश सही था और इसमें किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी। 7. बशीरा 2 में, ट्रायल कोर्ट ने वास्तविक मुकदमा शुरू करने की तारीख 28 फरवरी, 1967 निर्धारित की थी और उसी दिन, मुकदमा शुरू करने से पहले, आरोपी का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक न्याय मित्र नियुक्त किया गया था। उसी दिन, निचली अदालत ने आरोप में संशोधन किया, जिसमें आरोपी ने दोषी नहीं होने का अनुरोध किया और अभियोजन पक्ष के दो प्रमुख गवाहों से पूछताछ की गई। अन्य गवाहों से 1 मार्च, 1967 को पूछताछ की गई और अभियुक्त से दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 342 (दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 या संक्षेप में "संहिता" के बराबर) के तहत भी पूछताछ की गई। इसके बाद मामले को दलीलों के लिए 10 मार्च, 1967 को तय किया गया था, जिस तारीख को न्यायमित्र ने एक मामले को वापस बुलाने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था।

अभियोजन पक्ष के गवाह आगे की प्रतिपरीक्षा के लिए। आवेदन को खारिज कर दिया गया। फिर उसी दिन दलीलें सुनी गईं और 13 मार्च, 1967 को फैसला सुनाया गया जिसमें आरोपी को आई. पी. सी. की धारा 307 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया और उसे मौत की सजा सुनाई गई। इन तथ्यों की पृष्ठभूमि में, इस न्यायालय में उपस्थित न्यायमित्र की दलीलें निम्नानुसार दर्ज की गईं:

" 2. इस मामले में, अपीलार्थी की ओर से आग्रह किया गया मुख्य आधार कानून का एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने इस परिस्थिति पर जोर दिया कि अपीलार्थी का प्रतिनिधित्व करने के लिए न्यायमित्र वकील नियुक्त किया गया था

28 फरवरी, 1967 को सत्र न्यायाधीश द्वारा, जब मुकदमा शुरू होने वाला था और वकील की यह विलंबित नियुक्ति

अपीलार्थी को पर्याप्त कानूनी सहायता से वंचित कर दिया गया, ताकि वह ठीक से अपना बचाव करने में असमर्थ हो। यह आग्रह किया गया था कि प्रक्रिया

न्यायालय द्वारा अपनाया गया कानून के अनुसार नहीं था, ताकि यदि मृत्युदंड की सजा दी जाती है, तो अपीलार्थी वंचित हो जाएगा।

संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत अपने मौलिक अधिकार के उल्लंघन में अपने जीवन के लिए, जो यह निर्धारित करता है कि किसी भी व्यक्ति को वंचित नहीं किया जाएगा।

उसका जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार को छोड़कर।

2 (1969) 1 एससीआर 32: ए. आई. आर 1968 एस. सी. 1313 3 (2012) 9 एस. सी. सी. 408 [2019] 18 एस. सी. आर.

प्रस्तुतियों को निम्नानुसार निपटाया गया थाः

" 8. अभिलेख पर यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि, अपीलार्थी के वकील के रूप में उनकी नियुक्ति के बाद, श्री शुक्ला को बचाव की तैयारी के लिए पर्याप्त समय दिया गया था। न्यायाधीश द्वारा रखे गए आदेश-पत्र से ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे ही वकील की नियुक्ति की गई, अभियुक्त को आरोप पढ़ा दिया गया और उसकी याचिका दर्ज होने के बाद गवाहों से पूछताछ शुरू की गई। वकील ने, निश्चित रूप से, गवाहों से पूछताछ करने की पूरी कोशिश की, जिस हद तक उसके लिए बहुत कम समय में करना संभव था।

उसके लिए उपलब्ध है। यह सच है कि अभिलेख में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि वकील ने बचाव की तैयारी के लिए और समय मांगा था, लेकिन हमारी राय में, यह कोई मायने नहीं रखता है। नियम स्वयं न्यायालय को इस उद्देश्य के लिए वकील को पर्याप्त समय देने का कर्तव्य देता है और अभिलेख से यह पता चलना चाहिए कि उसे समय देकर नियम का पालन किया गया था जिसे न्यायालय मामले की विशेष परिस्थितियों में पर्याप्त मानता था। इस मामले में, रिकॉर्ड से पता चलता है कि मुकदमा आगे बढ़ाया गया था

न्यायमित्र वकील की नियुक्ति के तुरंत बाद और यह कि, वास्तव में, यदि कोई समय दिया गया था, तो यह नाममात्र था। इन परिस्थितियों में, यह माना जाना चाहिए कि इस नियम की आवश्यकताओं का कोई अनुपालन नहीं किया गया था।

9. इस संबंध में, हम दो उच्च न्यायालयों के निर्णयों का उल्लेख कर सकते हैं जहां एक समान स्थिति उत्पन्न हुई थी। इन रेः अल्ला।

नागेश्वर राव, याचिकाकर्ता को मद्रास क्रिमिनल रूल्स ऑफ प्रैक्टिस के नियम 228 के लिए संदर्भित किया गया था, जिसमें एक ऐसे मामले में आरोपी व्यक्ति का बचाव करने के लिए राज्य की कीमत पर एक वकील को शामिल करने का प्रावधान किया गया था, जहां मौत की सजा दी जा सकती थी। मुख्य न्यायाधीश सुब्बा राव द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि वे तब पीठ की ओर से बोल रहे थेः

" इस नियम का केवल औपचारिक अनुपालन नियम के अंतर्निहित उद्देश्य को पूरा नहीं करेगा। अभियुक्त की ओर से नियुक्त अधिवक्ता को अपना मामला तैयार करने और अपने मुवक्किल की ओर से इसका संचालन करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। हम संतुष्ट हैं कि दिया गया समय अपर्याप्त था और परिस्थितियों में, आरोपी को अपना बचाव करने का कोई वास्तविक अवसर नहीं दिया गया था।

यह विचार इस तथ्य के आधार पर व्यक्त किया गया था कि

अभियुक्त के लिए वकील को दो घंटे पहले नियुक्त किया गया था

मुकदमे की। मथाई थोमेन बनाम। केरल उच्च न्यायालय ने कहा

एक सत्र मुकदमे से निपट रहा था जिसमें वकील लगा हुआ था

2 अगस्त, 1958 को अभियुक्त का बचाव करने के लिए, जब मुकदमा चलाया गया था

वकील को तैयार होने और प्राप्त करने के लिए एक दिन की अनुमति दी गई थी अभियुक्त से निर्देश। प्रक्रिया पर टिप्पणी करें

सत्र न्यायालय द्वारा अपनाया गया, उच्च न्यायालय ने अंततः व्यक्त किया अपनी राय यह कहते हुए:

व्यवहार के आपराधिक नियमों के नियम 21 के तहत वकील का जिसे प्रभावी ढंग से ले जाने के उद्देश्य से बनाया गया है

कानून की अदालतों पर यह देखने का कर्तव्य है कि कोई भी वंचित न रहे

उचित और उचित अवसर के बिना जीवन और स्वतंत्रता

उसे अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए दिया जा रहा है। हम विचार करते हैं। कि इस तरह के मामलों में कम से कम कुछ वकीलों को नियुक्त किया जाना चाहिए

10 मुकदमे से 15 दिन पहले तक और इसके साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए

अभिलेखों की प्रतियाँ "।

हमारी राय में, कोई कठोर और तेज़ नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता है वकील की नियुक्ति के बीच का समय जो बीत जाना चाहिए

और मुकदमे की शुरुआत; लेकिन, प्रत्येक की परिस्थितियों पर

मामले में, सत्र न्यायालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि समय दिया गया है

बचाव पक्ष की तैयारी के लिए वकील पर्याप्त है। वर्तमान में

मामला, जब मुकदमा शुरू होने से ठीक पहले वकील नियुक्त किया गया था,

यह स्पष्ट है कि आवश्यकताओं का पालन करने में विफलता थी

इस संबंध में प्रक्रिया का नियम।

(हम पर जोर दें)

यह भी कहा गया कि संबंधित के जनादेश का उल्लंघन

अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उल्लंघन होगा

शीर्षक निम्नानुसार हैः

प्रक्रिया के उल्लंघन में उसके जीवन से वंचित होने का परिणाम कानून द्वारा स्थापित "।

निर्णय का कार्यात्मक भाग थाः " नतीजतन, हम दोषसिद्धि और सजा को दरकिनार कर देते हैं

अपीलार्थी। चूँकि हम मान रहे हैं कि दोषसिद्धि अमान्य है

मुकदमे में अपनाई गई प्रक्रिया में त्रुटि के कारण, हम निर्देश देते हैं

कि अपीलार्थी पर इस आरोप के लिए नए सिरे से मुकदमा चलाया जाएगा

कानून की आवश्यकताओं का पालन करना, ताकि मामला

इस उद्देश्य के लिए सत्र न्यायालय को भेज दिया गया।

8. हुसैनारा खातून और अन्य में (IV) v. गृह सचिव,

बिहार, पटना में यह निम्नानुसार मनाया गयाः

" 7. हम अनुच्छेद 39-ए का भी उल्लेख कर सकते हैं -

संवैधानिक निर्देश जो इस प्रकार हैः

" 39 - ए. समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता। राज्य करेगा

यह सुनिश्चित करना कि कानूनी प्रणाली के संचालन से न्याय को बढ़ावा मिले, समान अवसर के आधार पर, और विशेष रूप से प्रदान करेगा

उचित कानून या योजनाओं द्वारा या किसी अन्य में मुफ्त कानूनी सहायता

तरीका, यह सुनिश्चित करने के लिए कि न्याय प्राप्त करने के अवसर नहीं हैं आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण किसी भी नागरिक को अस्वीकार कर दिया गया।

(जोर दिया गया)

यह लेख इस बात पर भी जोर देता है कि मुफ्त कानूनी सेवा एक

"उचित, निष्पक्ष और न्यायपूर्ण" प्रक्रिया का अविभाज्य तत्व

इसके बिना एक व्यक्ति आर्थिक या अन्य से पीड़ित है अक्षमताओं को सुरक्षित करने के अवसर से वंचित किया जाएगा

न्याय। इसलिए मुफ्त कानूनी सेवाओं का अधिकार स्पष्ट रूप से है।

"उचित, निष्पक्ष और न्यायपूर्ण" प्रक्रिया का एक अनिवार्य घटक

अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के लिए और इसे अंतर्निहित माना जाना चाहिए

अनुच्छेद 21 की गारंटी में। यह एक संवैधानिक अधिकार है प्रत्येक अभियुक्त व्यक्ति जो एक वकील को नियुक्त करने में असमर्थ है और

गरीबी जैसे कारणों से कानूनी सेवाओं को सुरक्षित करना,

अभियुक्त व्यक्ति को एक वकील प्रदान करने का अधिदेश यदि - मामले की परिस्थितियों और न्याय की आवश्यकताओं के लिए,

बशर्ते कि अभियुक्त व्यक्ति को आपत्ति न हो ऐसे वकील का प्रावधान।

9. मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के मामले में विकास

विभिन्न योजनाओं में शामिल हुए और इसके निर्णयों से निपटा गया

टी, राजू उपनाम रमाकांत वी में उल्लेख किया गया था। मध्य प्रदेश राज्य निम्नानुसार हैः

" 6. 1977 में संविधान के 42 वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 39-ए को जोड़ा गया था। यह अनुच्छेद उपयुक्त विधान या योजनाओं या किसी अन्य तरीके से मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि न्याय प्राप्त करने के अवसरों से वंचित न किया जाए।

आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण कोई भी नागरिक।

7. संविधान का अनुच्छेद 39-ए इस प्रकार हैः

" 39 - ए. समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता। राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि कानूनी प्रणाली का संचालन समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा देता है, और विशेष रूप से, उचित कानून या योजनाओं या किसी अन्य तरीके से मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करेगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि न्याय प्राप्त करने के अवसरों से वंचित न किया जाए।

आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण कोई भी नागरिक।

8. इसके बाद, मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के इरादे से, केंद्र सरकार ने (26-9-1980 पर) निर्णय लिया और "कानूनी सहायता योजनाओं को लागू करने के लिए समिति" नियुक्त की। इस समिति को कानूनी सहायता कार्यक्रमों की निगरानी और उन्हें लागू करना था।

की पूर्ति में पूरे देश में एक समान आधार

संवैधानिक जनादेश। 9. कार्य की समीक्षा से प्राप्त अनुभव

समिति ने अंततः कानूनी सेवाओं को लागू किया।

प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (संक्षेप में "अधिनियम")।

10. इस अधिनियम में, अन्य बातों के साथ-साथ, एक राष्ट्रीय संविधान का प्रावधान है।

कानूनी सेवा समितियाँ। अधिनियम की धारा 12 कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए मानदंड निर्धारित करती है। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति जिसे कोई मामला दायर करना है या बचाव करना है, वह इस अधिकार का हकदार होगाः कानूनी सेवाएँ, यदि वह हिरासत में है। अधिनियम की धारा 13 में प्रावधान है कि अधिनियम की धारा 12 में निर्धारित मानदंडों को पूरा करने वाले व्यक्ति कानूनी सेवाओं के हकदार होंगे बशर्ते संबंधित प्राधिकारी संतुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति के पास प्रथम दृष्टया मामला है -

मुकदमा चलाएँ या बचाव करें।

11. इस संदर्भ में यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अधिनियम की धारा 12 और 13 कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए परीक्षण चरण और अपीलीय चरण के बीच कोई अंतर नहीं करती हैं। दूसरे शब्दों में, एक योग्य व्यक्ति कार्यवाही के किसी भी चरण में कानूनी सेवाओं का हकदार है, जिस पर वह मुकदमा चला रहा है या बचाव कर रहा है। वास्तव में उच्चतम न्यायालय की कानूनी सेवा समिति कानूनी प्रावधान करती है।

इस न्यायालय में पात्र व्यक्तियों को सहायता। इससे यह बहुत स्पष्ट हो जाता है कि किसी पात्र व्यक्ति को कानूनी सेवाएं प्रदान की जाएंगी। कार्यवाहियों के सभी चरण, विचारण के साथ-साथ अपीलीय। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अनुच्छेद 39-ए के संवैधानिक जनादेश को देखते हुए, किसी पात्र व्यक्ति को कानूनी सेवाएं या कानूनी सहायता प्रदान की जाती है।

निः शुल्क व्यक्ति।

इस न्यायालय के निर्णय 12. कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम के अधिनियमन तक, मुफ्त कानूनी सेवाएं या मुफ्त कानूनी सहायता या मुफ्त कानूनी प्रतिनिधित्व प्रदान करने का मुद्दा (सभी शब्दों को पर्याय के रूप में समझा जा रहा है)

इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आया।

13. इस संबंध में पहले कुछ निर्णयों में हुसैनारा खातून (4) बनाम है। गृह सचिव, बिहार राज्य, पटना "। उस मामले में, संविधान के अनुच्छेद 39-ए का संदर्भ दिया गया था और यह अभिनिर्धारित किया गया था कि (एससीसी पी। 105, पैरा 7) मुफ्त कानूनी सेवा किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति के लिए "उचित, निष्पक्ष और न्यायपूर्ण" प्रक्रिया का एक अविभाज्य तत्व है और इसे [संविधान के] अनुच्छेद 21 की गारंटी में निहित माना जाना चाहिए। यह नोट किया गया था किः " यह प्रत्येक अभियुक्त व्यक्ति का संवैधानिक अधिकार है जो गरीबी, निर्धनता या असंबद्धता जैसे कारणों से एक वकील को नियुक्त करने और [मुफ्त] कानूनी सेवाओं को सुरक्षित करने में असमर्थ

स्थिति "। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि यदि मामले की परिस्थितियाँ हों तो राज्य अभियुक्त व्यक्ति को एक वकील प्रदान करने के लिए अधिदेश के अधीन है। और न्याय की आवश्यकताएँ, निश्चित रूप से अभियुक्त के अधीन

एक व्यक्ति जो वकील प्रदान करने पर आपत्ति नहीं करता है।

14. इस निर्णय के सार का खत्री में पालन किया गया और

अन्य (II) v. बिहार राज्य। उस मामले में, यह नोट किया गया था कि न्यायिक मजिस्ट्रेट ने कानूनी प्रतिनिधित्व प्रदान नहीं किया था

अभियुक्त व्यक्ति क्योंकि उन्होंने इसकी माँग नहीं की थी। यह अस्वीकार्य पाया गया। इस न्यायालय ने आगे जाकर कहा कि यह था

-) 1 एस. सी. सी. 627 अनोकिलाल बनाम।

मध्य प्रदेश राज्य [उदय उमेश ललित, जे.]

न्यायिक मजिस्ट्रेट का दायित्व जिसके समक्ष अभियुक्तों को पेश किया गया था कि वे उन्हें कानूनी अधिकार के बारे में सूचित करें

संवैधानिक आदेश केवल कागजी वादा है। 15. सुक दास बनाम। केंद्र शासित प्रदेश अरुणाचल प्रदेश ने एक गरीब व्यक्ति और अपराध के आरोपी व्यक्ति को स्वतंत्र और पर्याप्त कानूनी प्रतिनिधित्व प्रदान करने की आवश्यकता को दोहराया। उस मामले में, यह दोहराया गया कि एक आरोपी को कानूनी सहायता मांगने की आवश्यकता नहीं है, मामले से निपटने वाला न्यायालय उसे मुफ्त कानूनी सहायता के अधिकार के बारे में सूचित करने के लिए बाध्य है। इस न्यायालय ने कहा कि (एस. सी. सी. पी. 407, पैरा 5) यह अब था

" स्थापित कानून कि राज्य की कीमत पर मुफ्त कानूनी सहायता किसी ऐसे अपराध के आरोपी व्यक्ति का मौलिक अधिकार है जिसमें उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता को खतरा हो सकता है और यह मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21 द्वारा निर्धारित उचित, निष्पक्ष और न्यायपूर्ण प्रक्रिया की आवश्यकता में निहित है।

संविधान] "।

16. चूंकि उस मामले में कानून की आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया गया था, और आरोपी व्यक्ति को राज्य की कीमत पर कानूनी प्रतिनिधित्व प्रदान किए जाने के अभाव में, यह माना गया कि इसका उल्लंघन किया गया था संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत अभियुक्त के मौलिक अधिकार। मुकदमे को एक घातक संवैधानिक दुर्बलता के कारण दूषित माना गया और दोषसिद्धि और सजा को दरकिनार कर दिया गया।

17. हम कुछ टिप्पणियों को संक्षेप में विषयांतर और विज्ञापन करने का प्रस्ताव करते हैं।

खत्री (2) 3 और सुक दास 9 दोनों मामलों में, इस न्यायालय ने मुफ्त कानूनी सहायता देने के संबंध में कुछ अपवाद बनाए। एक अभियुक्त व्यक्ति के लिए। यह देखा गया कि - (एस. सी. सी पी. 632, पैरा 6)

" 6. ..... आर्थिक अपराध या वेश्यावृत्ति या बच्चे को प्रतिबंधित करने वाले कानून के खिलाफ अपराध जैसे अपराधों से जुड़े मामले हो सकते हैं।

दुरुपयोग और इसी तरह, जहां सामाजिक न्याय की आवश्यकता हो सकती है कि राज्य द्वारा मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है।

हमें कुछ आपत्तियाँ हैं कि क्या इस तरह के अपवादों को विशेष रूप से संवैधानिक जनादेश और सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए बनाया जा सकता है कि किसी व्यक्ति को दोषी साबित होने तक निर्दोष माना जाता है। यदि ऐसे अपवाद स्वीकार किए जाते हैं, तो कुछ और जोड़ने की प्रवृत्ति हो सकती है, जैसे कि

आतंकवाद, जिससे संवैधानिक जनादेश और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकार कमजोर हो जाते हैं। हालाँकि, हमें इस विषय पर अधिक कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि

यह मुद्दा हमारे सामने नहीं है।

18. उपरोक्त चर्चा निर्णायक रूप से दर्शाती है कि इस न्यायालय ने किसी अपराध के आरोपी या किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्तियों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के मामले में काफी सक्रिय भूमिका निभाई है। अपराध "।

10. मोहम्मद में। हुसैन @Julfikar अली बनाम। राज्य (दिल्ली सरकार) 3 अभियुक्त की ओर से पेश की गई दलीलों में से एक, उसे वकील के अधिकार से वंचित कर दिया गया था और इस प्रकार उसे निष्पक्ष नहीं दिया गया था।एम. पार्टियल ट्रायल। एच. एल. दत्तू, जे. (तत्कालीन विद्वान मुख्य न्यायाधीश के रूप में) ने अपने निर्णय के 7 में निचली अदालत द्वारा पारित आदेशों का हवाला दिया और 10 से 12 ने कहा कि 56 गवाहों के साक्ष्य को अपीलकर्ता-अभियुक्त को वकील प्रदान किए बिना निचली अदालत में दर्ज किया गया था।

एस ने कहाः -

" 18. संहिता की धारा 311 एक आपराधिक अदालत को किसी भी व्यक्ति को गवाह के रूप में बुलाने का अधिकार देती है, हालांकि उसे गवाह के रूप में नहीं बुलाया गया है या किसी भी जांच, मुकदमे या अन्य कार्यवाही के किसी भी चरण में पहले से ही पूछताछ किए गए किसी भी व्यक्ति और अदालत से फिर से पूछताछ करने का अधिकार देती है।

यदि ऐसे किसी व्यक्ति का साक्ष्य मामले के न्यायपूर्ण निर्णय के लिए आवश्यक प्रतीत होता है तो उसे बुलाएगा और जाँच करेगा या वापस बुलाएगा और फिर से जाँच करेगा।

19. यदि अपीलीय अदालत धारा 386 के तहत दोषसिद्धि की अपील में आरोपी पर फिर से मुकदमा चलाने का आदेश देती है, तो मामले को निचली अदालत में भेज दिया जाता है और आरोपी पर फिर से मुकदमा चलाया जाता है, तो ऐसी निचली अदालत संहिता की धारा 311 के तहत शक्ति बरकरार रखती है जब तक कि

अपीलीय न्यायालय द्वारा अन्यथा आदेश दिया गया।

20. मचंदर वी। हैदराबाद राज्य 1 0, यह कहा गया है इस न्यायालय द्वारा कि जबकि यह देखना न्यायालय का दायित्व है कि कोई भी दोषी व्यक्ति भाग न सके, लेकिन न्यायालय को यह भी देखना होगा कि न्याय है

विलम्ब नहीं किया जाता है और अभियुक्त व्यक्तियों को अनिश्चित काल के लिए परेशान नहीं किया जाता है। अदालत ने आगे कहा कि अभियोजन पक्ष और आरोपी के बीच भी पैमाना रखा जाना चाहिए।

21. गोपी चंद बनाम। दिल्ली प्रशासन 1 1, इस न्यायालय की एक संविधान पीठ उन आपराधिक अपीलों से संबंधित थी जिनमें अपीलार्थी द्वारा मुकदमे की वैधता और दोषसिद्धि और सजा के आदेशों की याचिका दायर की गई थी। वह एक ऐसा मामला था जिसमें अपीलार्थी पर तीन अपराधों के लिए आरोप लगाया गया था, जिन पर दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए वारंट मामले के रूप में मुकदमा चलाया जाना आवश्यक था, लेकिन उस पर समन मामले के मुकदमे के लिए निर्धारित प्रक्रिया के तहत मुकदमा चलाया गया था। समन मामले और वारंट मामले की प्रक्रिया भौतिक रूप से अलग थी। संविधान पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि बनाए गए आरोपों की प्रकृति और साक्ष्य के चरित्र और मात्रा को ध्यान में रखते हुए, अपीलार्थी पूर्वाग्रह से ग्रस्त था; अपीलार्थी के खिलाफ तीन मामलों की सुनवाई दूषित थी और निम्नलिखित आदेश दिए गए थेः

दोषसिद्धि और सजा को अमान्य कर दिया गया। तदनुसार, न्यायालय ने दोषसिद्धि और सजा के आदेशों को रद्द कर दिया। इस सवाल पर विचार करते हुए कि अपीलों में कौन सा अंतिम आदेश पारित किया जाना चाहिए, संविधान पीठ ने निम्नानुसार निर्णय दियाः (एयर पीपी। 619-20 , पैरा 29)

" 29. ..... वे अपराध जिनके साथ अपीलार्थी खड़ा है

अभियुक्त बहुत गंभीर प्रकृति के होते हैं; और हालाँकि यह सच है कि उन्हें मुकदमे की अग्निपरीक्षा से गुजरना पड़ा है और कुछ समय के लिए कठोर कारावास का सामना करना पड़ा है जो उनकी प्रार्थना को उचित नहीं ठहराएगा कि हमें उनके मुकदमे को फिर से चलाने का आदेश नहीं देना चाहिए। हमारी राय में, के खिलाफ आरोपित अपराधों की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए अपीलार्थी, न्याय के उद्देश्यों की अपेक्षा है कि हमें निर्देश देना चाहिए कि उस पर कानून के अनुसार उक्त अपराधों के लिए नए सिरे से मुकदमा चलाया जाना चाहिए। हम यह भी निर्देश देते हैं कि अपीलार्थी के खिलाफ आगे की कार्यवाही बिना किसी देरी के शुरू की जानी चाहिए।

और यथासंभव शीघ्रता से निपटाया जाना चाहिए।

1955 एससी 792: (1955) 2 एससीआर 524 1959 एससी 609: 1959 सीआरएल।

22. टायरॉन नाज़रेथ बनाम में इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ। गोवा राज्य 1 2, यह अभिनिर्धारित करने के बाद कि अपीलार्थी की दोषसिद्धि थी मुकदमे के दौरान कानूनी सहायता प्रदान नहीं किए जाने के कारण उसे दूषित कर दिया गया, फिर से मुकदमे का आदेश दिया। संक्षिप्त आदेश इस प्रकार हैः (एस. सी. सी पी. 322 ,

पैरा 2)

" 2. हमने राज्य के विद्वान वकील को सुना है। हमने खत्री (2) v में इस न्यायालय के निर्णयों का भी अवलोकन किया है। बिहार राज्य 8 और सुख दास बनाम। केंद्र शासित प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। हम पाते हैं कि अपीलार्थी को किसी भी वकील द्वारा सहायता नहीं दी गई थी और शायद वह इस तथ्य से अवगत नहीं था कि न्यूनतम कानून के तहत दी गई सजा 10 साल की सश्रम कारावास और 1 लाख रुपये का जुर्माना था। इसलिए, हमारी राय है कि परिस्थितियों में मामला न्यायाधिकरण में वापस जाना चाहिए। अपीलार्थी यदि वकील द्वारा प्रतिनिधित्व नहीं करता है तो

अदालत से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 304 के तहत या किसी अन्य के तहत उसे वकील प्रदान करने का अनुरोध करें।

कानूनी सहायता योजना और अदालत आरोपों पर याचिका दर्ज करने के बाद नए सिरे से मुकदमे के साथ आगे बढ़ सकती है। तदनुसार अपील की अनुमति दी जाती है। विशेष न्यायालय द्वारा पारित और उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि किए गए दोषसिद्धि और सजा का आदेश निर्धारित किया जाता है

एक तरफ और एक नए सिरे से परीक्षण का आदेश दिया जाता है "।

23. एस. गुइन बनाम में यह न्यायालय। ग्रिंडलेज़ बैंक Ltd.[13] 13 संबंधित था

अपीलकर्ताओं का कहना था कि उन्होंने अधिकारियों को बाधित किया था बैंक, बिना किसी उचित कारण के, बैंक की एक शाखा के परिसर में प्रवेश करने से रोकता है और सामान्य बैंकिंग व्यवसाय के लेनदेन में भी बाधा डालता है। उनके बरी होने के खिलाफ, उच्च न्यायालय के समक्ष एक अपील दायर की गई जिसने छह साल की अवधि के बाद इसे स्वीकार कर लिया और मामले को फिर से सुनवाई के लिए भेज दिया। पुनः सुनवाई के लिए रिमांड के आदेश से ही मामला इस अदालत में पहुंचा। इस न्यायालय ने रिपोर्ट के पैरा 3 में रिमांड के आदेश को दरकिनार करते हुए कहा कि

इसके अंतर्गतः (एससीसी पीपी। 655-56)

" 3. मजिस्ट्रेट और उच्च न्यायालय के फैसले को देखने के बाद हम महसूस करते हैं कि जो कुछ भी हो सकता है

4 पूरक (3) एस. सी. सी. 321

6) 1 एस. सी. सी. 654 अनोकिलाल बनाम।

मध्य प्रदेश राज्य [उदय उमेश ललित, जे.]

मजिस्ट्रेट द्वारा की गई त्रुटि, मामले की परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय के लिए मामले को नए सिरे से सुनवाई के लिए भेजना उचित और उचित नहीं था, जब उच्च न्यायालय के फैसले से लगभग छह साल पहले बरी करने का आदेश पारित किया गया था। उच्च न्यायालय के समक्ष आपराधिक अपील का छह साल तक लंबित रहना ही इसकी एक खेदजनक विशेषता है। मामला। इसके अलावा, पुनः विचारण का निर्देश देने वाले आदेश के परिणामस्वरूप अपीलार्थियों के प्रति गंभीर पूर्वाग्रह पैदा हुआ है। हमारा विचार है कि कथित कृत्यों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए

अपीलार्थी और अन्य परिचर द्वारा प्रतिबद्ध

परिस्थितियों में, यह एक ऐसा मामला था जिसमें उच्च न्यायालय को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 42 के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्यवाही को छोड़ने का निर्देश देना चाहिए था, भले ही किसी कारण से यह निष्कर्ष पर पहुंचा हो कि बरी करना गलत था। कथित घटना के लगभग सात साल बाद एक नए मुकदमे के परिणामस्वरूप उत्पीड़न और दुर्व्यवहार होना तय है

न्यायिक प्रक्रिया "।

अंतुले वी। आर. एस. नायक 1 4 ने संविधान के अनुच्छेद 21 और संहिता के विभिन्न प्रावधानों के आलोक में त्वरित सुनवाई के लिए एक अभियुक्त के अधिकार पर विचार किया। संविधान पीठ ने हुसैनारा खातून (1) बनाम में इस न्यायालय के पहले के फैसलों का भी व्यापक रूप से उल्लेख किया। बिहार राज्य 1 5, हुसैनारा खातून (3) v. बिहार राज्य 1,6, हुसैनारा खातून (4) बनाम। बिहार राज्य और रघुबीर सिंह वी. बिहार राज्य 1 7 और नोट किया कि संहिता के प्रावधान हैं

त्वरित सुनवाई की संवैधानिक गारंटी के अनुरूप अनुच्छेद 21 से उद्भूत। रिपोर्ट के पैरा 86 में न्यायालय ने दिशा-निर्देश बनाए। इसके उप-पैरा (9) और (10) को निम्नानुसार पढ़ा जा सकता हैः

(अब्दुल रहमान अंतुले मामला 14, एस. सी. सी. पी. 272)

“ 86. (9) सामान्य तौर पर, जहां अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि किसी आरोपी के त्वरित मुकदमे के अधिकार का उल्लंघन किया गया है, तो आरोप या दोषसिद्धि, जैसा भी मामला हो, रद्द कर दी जाएगी। लेकिन यह एकमात्र खुला पाठ्यक्रम नहीं है। द. अपराध की प्रकृति और किसी मामले में अन्य परिस्थितियाँ

0) 1 एस. सी. सी 810) 1 एससीसी 93

ऐसा हो सकता है कि कार्यवाही को रद्द करना न्याय के हित में न हो। ऐसे मामले में, अदालत के लिए इस तरह का अन्य उचित आदेश देने का अधिकार है-जिसमें एक निश्चित समय के भीतर मुकदमा समाप्त करने का आदेश भी शामिल है, जहां मुकदमा नहीं चलाया जाता है।

उस सजा को समाप्त या कम करना जहाँ मुकदमा चल रहा है

जिसमें न्यायसंगत और न्यायसंगत माना जा सकता है

मामले की परिस्थितियाँ। (10) अपराधों के मुकदमे के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित करना न तो उचित है और न ही व्यावहारिक है। ऐसा कोई भी नियम योग्य होने के लिए बाध्य है

एक. इस तरह के नियम को केवल अभियोजन पक्ष के कंधों पर औचित्य साबित करने का बोझ डालने के लिए भी विकसित नहीं किया जा सकता है। त्वरित सुनवाई के अधिकार से इनकार करने की शिकायत के प्रत्येक मामले में,

यह मुख्य रूप से अभियोजन पक्ष पर है कि वह देरी को उचित ठहराए और समझाए। साथ ही, यह न्यायालय का कर्तव्य है कि वह निर्णय देने से पहले किसी मामले की सभी परिस्थितियों पर विचार करे। शिकायत करें। संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने भी छठे संशोधन के बावजूद बार-बार ऐसी कोई बाहरी समय-सीमा तय करने से इनकार कर दिया है। न ही हम यह समझते हैं कि ऐसी कोई बाहरी सीमा तय नहीं करने से त्वरित सुनवाई के अधिकार की गारंटी अप्रभावी हो जाती है। ”

25. कर्तार सिंह बनाम। पंजाब राज्य 1 8, इस न्यायालय द्वारा यह कहा गया था कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक नागरिक की स्वतंत्रता उत्साहपूर्वक होनी चाहिए।

न्यायालयों द्वारा संरक्षित; फिर भी न्यायालयों को न्याय प्रदान करते समय न केवल अभियुक्त की स्वतंत्रता, बल्कि पीड़ित और उनके निकट और प्रिय के हित और सबसे बढ़कर समुदाय के सामूहिक हित और राष्ट्र की सुरक्षा को भी ध्यान में रखना चाहिए ताकि जनता न्यायिक प्रशासन की प्रणाली में विश्वास न खोए और निजी प्रतिशोध में लिप्त न हो। उस मामले में,

अदालत टाडा अधिनियम के तहत एक मामले की सुनवाई कर रही थी।

इस प्रकार यह अभिनिर्धारित किया गया कि विवादित निर्णय की आवश्यकता थी

सेड और मामले को नए सिरे से सुनवाई के लिए रिमांड पर लिया जाना था। सी. के. प्रसाद ने एच. एल. दत्तू, जे. से नाराज़ होकर स्वीकार किया कि अपीलार्थी-अभियुक्त मुकदमे के दौरान अपना बचाव करने के लिए किसी वकील की सहायता नहीं कर रहा था, इसलिए फैसले और सजा को दरकिनार कर दिया जाना चाहिए। हालाँकि, ई. डब्ल्यू. में, मामले को नए सिरे से सुनवाई के लिए रिमांड पर लेने की आवश्यकता नहीं थी औरअपीलार्थी-अभियुक्त को पूर्ण रूप से दोषमुक्त करने का अधिकार दिया जाए।

4) 3 एस. सी. सी. 569 अनोकिलाल बनाम।

मध्य प्रदेश राज्य [उदय उमेश ललित, जे.]

इस मतभेद पर, मामला तीन न्यायाधीशों की पीठ के पास गया, जिसने एच. एल. दत्तू, जे. द्वारा लिए गए विचार को स्वीकार किया और निर्देश दिया

वी. ओ. ट्रायल। यह देखा गया 3:

" 15. संहिता की धारा 304, सत्र न्यायालय के समक्ष मुकदमे में राज्य के खर्च पर अभियुक्त को कानूनी सहायता प्रदान करने का आदेश देती है, जहां अभियुक्त का प्रतिनिधित्व एक वकील द्वारा नहीं किया जाता है और जहां न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि अभियुक्त के पास अभियोग दायर करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं हैं। प्लीडर।

38. बेस्ट बेकरी मामले में ", न्यायालय ने निम्नलिखित भी बनायाः

टिप्पणियाँः (एस. सी. सी पी. 187 , पैरा 38-40)

" 38. आपराधिक मुकदमा मामले के मुद्दों की न्यायिक जांच है और इसका उद्देश्य किसी तथ्य या प्रासंगिक तथ्यों के रूप में किसी मुद्दे पर निर्णय पर पहुंचना है जो तथ्य मुद्दे की खोज का कारण बन सकता है और ऐसे तथ्यों का प्रमाण प्राप्त करना है जिन पर अभियोजन पक्ष और अभियुक्त अपनी दलीलों के माध्यम से पहुंचे हैं; नियंत्रित करने वाला प्रश्न अभियुक्त का अपराध या निर्दोषता है। चूँकि इसका उद्देश्य न्याय दिलाना और दोषियों को दोषी ठहराना और निर्दोष की रक्षा करना है, इसलिए मुकदमा सच्चाई की खोज होनी चाहिए, न कि तकनीकीताओं के बारे में, और ऐसे नियमों के तहत संचालित किया जाना चाहिए जो निर्दोष की रक्षा करेंगे, और दोषियों को सजा दें। आरोप का प्रमाण जो उचित संदेह से परे होना चाहिए, मौखिक और परिस्थितिजन्य साक्ष्य की समग्रता के न्यायिक मूल्यांकन पर निर्भर होना चाहिए, न कि एक अलग जांच द्वारा।

39. अभियुक्त या अभियोजन पक्ष को निष्पक्ष सुनवाई देने में विफलता कानून की उचित प्रक्रिया के न्यूनतम मानकों का भी उल्लंघन करती है। कानून की उचित प्रक्रिया की अवधारणा में यह अंतर्निहित है कि निंदा केवल उस मुकदमे के बाद की जानी चाहिए जिसमें सुनवाई वास्तविक हो, न कि दिखावा या केवल प्रहसन और ढोंग। चूँकि निष्पक्ष सुनवाई के लिए प्रक्रिया को संरक्षित करने के अवसर की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे दूषित किया जा सकता है और इसका उल्लंघन किया जा सकता है।

जल्दबाजी में, मंच-प्रबंधित, अनुरूप और पक्षपातपूर्ण परीक्षण।
40. आपराधिक अपराध के लिए निष्पक्ष सुनवाई में न केवल कानून के ढांचे और रूपों का तकनीकी पालन शामिल है, बल्कि

सत्य का पता लगाने और न्याय की विफलता को रोकने के लिए इसके सिद्धांतों को मान्यता देने और उचित रूप से लागू करने के लिए।

ने बेंच ने इस बात पर जोर दिया किः (बेस्ट बेकरी केस 19, एससीसी पी। 192 ,

" 52. क्या संहिता की धारा 386 के तहत पुनः विचारण या संहिता की धारा 391 के तहत अतिरिक्त साक्ष्य लेना (किसी मामले में) उचित प्रक्रिया है, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगी, जिसके लिए सार्वभौमिक और अपरिवर्तनीय अनुप्रयोग का कोई स्ट्रैटजैकेट सूत्र नहीं हो सकता है।

तैयार किया गया "।

40. " अपराध के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ त्वरित सुनवाई और निष्पक्ष सुनवाई अनुच्छेद 21 का अभिन्न अंग है। हालाँकि, त्वरित सुनवाई के अधिकार और अभियुक्त के निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार के बीच गुणात्मक अंतर है। अभियुक्त के निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार के विपरीत, त्वरित सुनवाई के अधिकार से वंचित होने से अभियुक्त का अपना बचाव करने में पूर्वाग्रह नहीं होता है। त्वरित सुनवाई का अधिकार अपनी प्रकृति में सापेक्ष है। यह विभिन्न परिस्थितियों पर निर्भर करता है। आपराधिक मुकदमे के समापन में देरी के प्रत्येक मामले को ऐसे मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में देखा जाना चाहिए। अभियोजन शुरू होने के बाद से केवल कई वर्षों का अंतराल अभियोजन को बंद करने या अभियोग को खारिज करने को उचित नहीं ठहरा सकता है। अभियुक्त के त्वरित सुनवाई के अधिकार से संबंधित कारकों को समाज पर अपराध के प्रभाव और न्यायिक प्रणाली में लोगों के विश्वास के साथ तौलना होगा। त्वरित सुनवाई अभियुक्त के अधिकारों को सुरक्षित करती है लेकिन यह सार्वजनिक न्याय के अधिकारों को बाधित नहीं करती है।

अपराध की प्रकृति और गंभीरता, इसमें शामिल व्यक्तियों, सामाजिक प्रभाव और सामाजिक आवश्यकताओं को अभियुक्त के त्वरित मुकदमे के अधिकार के साथ तौला जाना चाहिए और यदि संतुलन अभियुक्त के पक्ष में झुकता है तो आपराधिक मुकदमे के समापन में लंबी देरी अभियोजन की निरंतरता के खिलाफ काम नहीं करनी चाहिए और यदि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों और स्थिति की अनिवार्यताओं में अभियुक्त का अधिकार उसके पक्ष में संतुलन को झुकाता है, तो अभियोजन को समाप्त किया जा सकता है। इन सिद्धांतों को तब भी लागू होना चाहिए जब अपील अदालत का सामना इस सवाल से किया जाता है कि क्या किसी आरोपी पर फिर से मुकदमा चलाने का आदेश दिया जाना चाहिए या नहीं। अनोकिलाल वी.

मध्य प्रदेश राज्य [उदय उमेश ललित, जे.]

11. अंकुश मारुति शिंदे और अन्य बनाम राज्य

महाराष्ट्र 20 उच्च न्यायालय ने अभियुक्तों पर लगाए गए दोषसिद्धि और मौत की सजा को बरकरार रखा था। 1 , 2 और 4 जबकि अभियुक्त संख्या। 3 , 5 और 6 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अपीलों को अभियुक्तों द्वारा प्राथमिकता दी गई थी। 1 , 2 और 4 उनकी दोषसिद्धि और सजा के खिलाफ जबकि आपराधिक अपील सं। 881-882 2009 को राज्य द्वारा प्राथमिकता दी गई थी

अभियुक्त सं. के संबंध में आजीवन कारावास की सजा को मृत्युदंड में बढ़ाने की मांग। 3 , 5 और 6. द्वारा पसंद की गई अपीलों में राज्य, अभियुक्तों को नोटिस दिया गया था। 3 , 5 और 6 केवल 6.12.2008 पर। हालाँकि, इस तरह के नोटिस की सेवा से पहले ही, इस संबंध में सुनवाई

सभी अपीलों की शुरुआत 04.12.2008 पर हुई थी। 10.12.2008 पर विद्वान वकील जो अभियुक्त की ओर से पेश हो रहे थे। 1 , 2 और 4 को अभियुक्तों का प्रतिनिधित्व करने के लिए न्यायमित्र के रूप में नियुक्त किया गया। 3 , 5 और 6. सुनवाई उसी दिन समाप्त हो गई और फैसला सुरक्षित रख लिया गया। अपने दिनांक 30.04.2009 के निर्णय द्वारा इस न्यायालय ने इसके द्वारा पसंद की गई अपीलों को अनुमति दी

राज्य और अभियुक्तों को मृत्युदंड दिया। 3 , 5 और 6 अभियुक्त सं. के संबंध में मृत्युदंड की पुष्टि करते हुए। 1 , 2 और 4. इस प्रकार सभी छह अभियुक्तों को मौत की सजा सुनाई गई।

इसके बाद, समीक्षा याचिका (सीआरएल) नं. 34-35 2010 के थे

अभियुक्त सं. द्वारा वरीयता प्राप्त। 1 , 2 और 4 समीक्षा याचिका (सीआरएल) के दौरान। नं. 18 19 2011 के अभियुक्तों द्वारा वरीयता दी गई थी। 3 , 5 और 6. अपने दिनांकित 31.10.20182[1] आदेश द्वारा समीक्षा याचिकाओं को अनुमति देते हुए, इस न्यायालय ने कहाः

" तथ्यों के उपरोक्त वर्णन से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त संख्या। 3 , 5 और 6 को महाराष्ट्र राज्य द्वारा दायर अपीलों के समक्ष पीठ द्वारा सुनवाई का कोई अवसर नहीं मिला।

सजा बढ़ाने का निर्णय लिया गया। वे हो चुके हैं वकील को शामिल करने और ऐसी प्रस्तुतियों का आग्रह करने के अवसर से वंचित, जैसा कि उन्हें बचाव में आग्रह करने की सलाह दी गई होगी।

राज्य द्वारा वृद्धि के लिए दायर अपीलों के लिए।

इसलिए इस न्यायालय ने 30.04.2009 दिनांकित निर्णय और आदेश को वापस ले लिया और आपराधिक अपीलों को इस फाइल में बहाल कर दिया गया।

न्यायालय पर गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाना चाहिए।

तत्पश्चात, तीन न्यायाधीशों की एक पीठ ने अपने निर्णय द्वारा दिनांकित किया

05.03.201922 संबंधित अभियुक्त को लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया गया

20 (2009) 6 एससीसी 667 2 1 अंबादास लक्ष्मण शिंदे और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य-(2018) 14 स्केल 730 = (2018) 18 एससीसी 788 22 2019 एससीसी ऑनलाइन एससी 317-अंकुश मारुति शिंदे और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य [2019] 18 एस. सी. आर.

सेंट उन्हें। इस न्यायालय ने उनके द्वारा की गई अपीलों को भी खारिज कर दिया

अभियुक्त की सजा को बढ़ाने के लिए Nos.3,5 और 6।

12. इम्तियाज़ रमजान खान बनाम महाराष्ट्र राज्य में 2 3 यह

इस न्यायालय द्वारा प्रदत्तः

" 4. अब हम इन दोनों मामलों के बीच की सामान्य विशेषता पर आते हैं। श्री शिखिल सूरी, विद्वान अधिवक्ता दोनों मामलों में अभियुक्त की ओर से पेश हुए। पिछली तारीखों पर याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता द्वारा पत्र वितरित किए गए थे।

कि मामलों को स्थगित कर दिया जाए ताकि वकील अभियुक्त के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने की व्यवस्था कर सके।

चिंतित हैं। पत्र में आगे कहा गया है कि इस अभ्यास को सर्वोच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति के निर्देशों के अनुसार अनिवार्य बनाया गया था। यह न्यायालय आसानी से सहमत हो गया और स्थगित कर दिया गया

विषयों को। स्थगित तिथि पर, हमने विद्वान अधिवक्ता श्री शिखिल सूरी से पूछा कि क्या वह संबंधित अभियुक्त से सफलतापूर्वक संपर्क कर सकते हैं। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार वह पहले मामले में आरोपी से संपर्क नहीं कर सका लेकिन अपनी बहन से बात कर सकता था जबकि दूसरे मामले में वह कर सकता था।

अभियुक्त के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस करें।

5. हमारे विचार में उच्चतम न्यायालय की ओर से ऐसा निर्देश

काबिले तारीफ। बहुत बार हम देखते हैं कि विद्वान अधिवक्ता जो उच्चतम न्यायालय कानूनी सेवा समिति द्वारा सौंपे गए मामलों में उपस्थित होने पर, अभियुक्त या उन लोगों के साथ बातचीत करने का लाभ नहीं है जो मामले के विवरण के बारे में जानते हैं। यह कभी-कभी विद्वान अधिवक्ताओं के प्रयासों को गंभीर रूप से बाधित करता है। वकील और उसके मुवक्किल के बीच बातचीत को सुविधाजनक बनाने के ऐसे सभी प्रयास आगे बढ़ेंगे

न्याय का कारण और कानूनी सहायता को सार्थक बनाना। इसलिए हम प्रत्येक राज्य में सभी कानूनी सेवा प्राधिकरणों/समितियों को निर्देश देते हैं कि वे हर आपराधिक मामले में ऐसी सुविधा का विस्तार करें जहां भी आरोपी जेल में बंद हो। वे एक ओर वकील और दूसरी ओर अभियुक्त या मामले के जानकार किसी भी व्यक्ति के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा का विस्तार करेंगे, ताकि न्याय के कारण की अच्छी तरह से सेवा की जाती है।

8) 9 एस. सी. सी. 160 8) 9 एस. सी. सी. 163-इम्तियाज रमजान खान बनाम महाराष्ट्र राज्य (ओ. के. आइ. एल. ए. एल. बनाम।

मध्य प्रदेश राज्य [उदय उमेश ललित, जे.]इसलिए, ऊपर दिए गए निर्णयों से निम्नलिखित सिद्धांत सामने नहीं आते हैंः

अनुच्छेद 39-वर्ष 1977 में संविधान में 42 वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया एक अनुच्छेद यह सुनिश्चित करने के लिए मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है कि किसी भी नागरिक को आर्थिक या अन्य कारणों से न्याय प्राप्त करने के अवसरों से वंचित न किया जाए।

अन्य अक्षमताएँ। वैधानिक व्यवस्था स्थापित की गई जिसमें शामिल हैं -

अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटीकृत अधिकार में निहित होना। बेस्ट बेकरी मामले में इस न्यायालय के निर्णय का उद्धरण (जैसा कि मोहम्मद में निर्णय में उद्धृत किया गया है। हुसैन 3) इस बात पर जोर देते हैं कि आपराधिक मुकदमे का उद्देश्य सच्चाई की खोज करना है और मुकदमा तकनीकीताओं के बारे में नहीं है और इसे इस तरह से संचालित किया जाना चाहिए जिससे निर्दोष की रक्षा हो और दोषी को दंडित किया जा सके। संविधान में अनुच्छेद 39-ए को शामिल करने से पहले ही बशीरा 2 में इस अदालत के फैसले ने मामले को आगे बढ़ा दिया।

कोई संदेह और यह अभिनिर्धारित किया कि उस मामले में न्यायमित्र को बचाव की तैयारी के लिए दिया गया समय था यह पूरी तरह से अपर्याप्त है और कि मृत्युदंड की सजा के परिणामस्वरूप अभियुक्त को जीवन से वंचित किया गया और

कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का उल्लंघन था।

उच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जे. सुब्बा राव द्वारा लिखित मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले से बशीरा 2 में उद्धृत भाग में स्पष्टता के साथ कहा गया है कि केवल नियम का औपचारिक अनुपालन जिसके तहत पर्याप्त है।

वकील को बचाव की तैयारी करने के लिए समय दिया जाना था जो नियम के अंतर्निहित उद्देश्य को पूरा नहीं करेगा। यह आगे कहा गया कि अवसर वास्तविक होना चाहिए जहां वकील को तैयारी के लिए पर्याप्त और पर्याप्त समय दिया जाए।

बशीरा 2 के साथ-साथ अंबादास 2 1 में, एक वकील के [2019] 18 एस. सी. आर. होने के ठीक अगले दिन मामले में पर्याप्त प्रगति कर रहे हैं।

न्यायमित्र के रूप में नियुक्त, इस न्यायालय द्वारा वकील के लिए 'पर्याप्त अवसर' के अनुपालन के रूप में स्वीकार नहीं किया गया था।

14. वर्तमान मामले में न्यायमित्र को आई. डी. 1 पर नियुक्त किया गया था, और उसी तारीख को, आरोप तय करने के चरण में अभियुक्त का बचाव करने के लिए वकील को बुलाया गया था। कोई भी निश्चित रूप से कह सकता है कि न्यायमित्र के पास बुनियादी दस्तावेजों को देखने के लिए भी पर्याप्त समय नहीं था, न ही आरोपी के साथ किसी भी चर्चा या बातचीत का लाभ और मामले पर विचार करने के लिए समय था। इस प्रकार, न्यायमित्र की पकड़ में आने से पहले ही आरोप तय कर लिए गए।

संबंधित प्रावधान अर्थात। संहिता की धारा 227 और 228 में अभिलेख पर विचार करने के बाद आरोप तय करने पर विचार किया गया है।

मामला और उसके साथ प्रस्तुत किए गए दस्तावेज, और उस ओर से अभियुक्त और अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद। यदि इन प्रावधानों के प्रयोजनों के लिए सुनवाई सार्थक होनी है, और केवल एक नियमित मामला नहीं है, तो उक्त प्रावधानों के तहत अधिकार अपीलार्थी को अस्वीकार कर दिया गया था।

15. हमारे सुविचारित विचार में, विचारण न्यायालय को अपने दम पर मामले को कुछ समय के लिए स्थगित कर देना चाहिए था ताकि न्यायमित्र

मामले को तैयार करने के लिए पर्याप्त समय का लाभ उठाया जा सकता था। हमारे विचार में, विचारण न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण ने मुकदमे के संचालन में तेजी लाई होगी, लेकिन न्याय के उद्देश्य को आगे नहीं बढ़ाया होगा। सिर्फ इतना ही नहीं

ऊपर बताए गए दिन ही आरोप तय किए गए थे, लेकिन उसके बाद एक पखवाड़े के भीतर मुकदमा ही समाप्त हो गया। इस प्रक्रिया में,

सहायता जो अपीलार्थी कानूनी सहायता के रूप में पाने का हकदार था, वास्तविक और सार्थक नहीं हो सकती थी।

16. इस मामले में अन्य मुद्दे भी उठते हैं जैसे कि सात दिनों के भीतर 13 गवाहों से पूछताछ, संहिता की धारा 313 के प्रावधानों के तहत अभियुक्तों से पूछताछ।

इससे पहले कि अभियोजन पक्ष द्वारा पूर्ण साक्ष्य का नेतृत्व किया गया था, और वर्तमान मामले में एफएसएल और डीएनए रिपोर्ट की प्रतीक्षा नहीं की गई थी। डी. एन. ए. रिपोर्ट ने निश्चित रूप से उच्च न्यायालय द्वारा चर्चा की नींव रखी। हालांकि, रिकॉर्ड से पता चलता है कि डीएनए रिपोर्ट लगभग प्राप्त हो गई थी मामले के अंतिम छोर पर, और इस तरह की रसीद के बाद, हालांकि तकनीकी रूप से आरोपी को एक अवसर दिया गया था, लेकिन मुद्दे को उसी दिन समाप्त कर दिया गया था। विचारण न्यायालय के निर्णय के समापन पैराग्राफ से पता चलता है कि पूरा मुकदमा एक से भी कम अनोकिल v में पूरा किया गया था।

अभियोजन पक्ष के साथ-साथ बचाव पक्ष की सहायता से, लेकिन, इस तरह के त्वरित निपटान ने निश्चित रूप से स्पष्ट अंतराल छोड़ दिया।

17. वी. के. शशिकल बनाम में। अधीक्षक द्वारा राज्य का प्रतिनिधित्व

इस न्यायालय द्वारा पुलिस 2 5 की चेतावनी निम्नानुसार व्यक्त की गई थीः

" 23.4 यद्यपि मुकदमे को इसके जल्द से जल्द निष्कर्ष पर लाने की चिंता को साझा किया जाना चाहिए, यह मौलिक है कि इस प्रक्रिया में न्यायिक उदाहरणों को उजागर करके श्रमसाध्य रूप से बनाए गए कानून के किसी भी सुदृढ़ सिद्धांत का त्याग या समझौता नहीं किया जाता है। किसी भी परिस्थिति में, न्याय के कारण को पीड़ित नहीं किया जा सकता है, हालांकि, निस्संदेह, यह अत्यधिक वांछनीय है कि किसी भी मुकदमे की अंतिमता को जल्द से जल्द संभव समय में प्राप्त किया जाए।

18. आपराधिक मामलों में निस्संदेह त्वरित निपटान की आवश्यकता होती है और यह स्वाभाविक रूप से निष्पक्ष सुनवाई की गारंटी का हिस्सा होगा। हालाँकि, प्रक्रिया में तेजी लाने के प्रयास निष्पक्षता के बुनियादी तत्वों और अभियुक्त के लिए अवसर की कीमत पर नहीं होने चाहिए, जिसके आधार पर न्याय का पूरा आपराधिक प्रशासन स्थापित किया जाता है। शीघ्र निपटारे के प्रयास में, न्याय के उद्देश्य को कभी भी पीड़ित या त्याग करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। जो सर्वोपरि है उसका कारण है

न्याय और बुनियादी तत्वों को बनाए रखना जो यह सुनिश्चित करते हैं कि एक मूल विचार और आदर्श के रूप में, प्रक्रिया में तेजी लाई जा सकती है, लेकिन प्रक्रिया की तेजी से ट्रैकिंग का परिणाम कभी भी न्याय के कारण को दफन नहीं करना चाहिए।

19. इन परिस्थितियों में, बशीरा 2 में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार, हम विद्वान श्री लूथरा द्वारा किए गए समर्पण को स्वीकार करते हैं।

न्यायमित्र और उनका मानना है कि वर्तमान मामले में अपीलार्थी का प्रतिनिधित्व करने के लिए कानूनी सेवाओं के माध्यम से नियुक्त विद्वान वकील को मामले का अध्ययन करने का पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिए था और उस ओर से किए गए उल्लंघन के परिणामस्वरूप न्याय की विफलता हुई। हम जिस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, उसके आलोक में विद्वान न्यायमित्र श्री लूथरा द्वारा प्रस्तुत अन्य दलीलों पर विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

एहतियात के तौर पर हम केवल इतना ही कह सकते हैं कि जिन मामलों में मौत की सजा वैकल्पिक सजा में से एक हो सकती है, अदालतों को पूरी तरह से सतर्क रहना चाहिए और यह देखना चाहिए कि हर स्तर पर आरोपी को पूरा अवसर दिया जाए।

20. इसलिए, हमें निचली अदालत द्वारा पारित दोषसिद्धि के निर्णयों और सजा के आदेशों को दरकिनार करने में कोई संकोच नहीं है और

उच्च न्यायालय अपीलार्थी के खिलाफ और नए सिरे से विचार करने का निर्देश देता है। विचारण न्यायालय में अपीलार्थी का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील के लिए यह खुला रहेगा कि वह इन मुद्दों पर कोई भी दलीलें दे (i) विचारण न्यायालय द्वारा बनाए गए आरोपों में संशोधन की आवश्यकता है या नहीं; (ii) अभियोजन पक्ष के किसी भी गवाह को वापस बुलाने की आवश्यकता है या नहीं। आगे की प्रतिपरीक्षा के लिए; और (iii) क्या एफ. एस. एल. रिपोर्ट और डी. एन. ए. रिपोर्ट के जवाब में किसी विशेषज्ञ साक्ष्य की आवश्यकता है। इसके बाद, इस मामले पर कानून के अनुसार रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर विचार किया जाएगा।

21. यह कहा जाना चाहिए कि इस न्यायालय द्वारा की गई चर्चा विशुद्ध रूप से थी

यह इस मुद्दे तक सीमित था कि क्या, मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करते समय, अपीलार्थी को वास्तविक और सार्थक सहायता प्रदान की गई थी या नहीं। इस मामले में चर्चा को मामले के गुण-दोष पर प्रतिबिंब के रूप में नहीं लिया जाएगा, जिस पर विचार किया जाएगा और हमारे द्वारा की गई किसी भी टिप्पणी से प्रभावित नहीं किया जाएगा।

22. अलग होने से पहले, हमें कुछ मानदंड निर्धारित करने चाहिए ताकि वर्तमान मामले में हमने जो दुर्बलताएं देखी हैं, उनकी पुनरावृत्ति न हो।

i) उन सभी मामलों में जहां आजीवन कारावास या मृत्युदंड की संभावना है, विद्वान अधिवक्ता जिन्होंने कम से कम 10 वर्ष की सजा दी है।

अकेले बार में वकालत करने वाले को न्यायमित्र के रूप में या किसी अभियुक्त का प्रतिनिधित्व करने के लिए कानूनी सेवाओं के माध्यम से नियुक्त किया जाता है।

(ii) मृत्युदंड की पुष्टि से संबंधित उच्च न्यायालय द्वारा निपटाए गए सभी मामलों में, न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ताओं को पहले न्यायमित्र के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए। iii) जब भी किसी विद्वान वकील को न्यायमित्र के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो वकील को तैयार करने में सक्षम बनाने के लिए कुछ उचित समय प्रदान किया जा सकता है।

बात है। इस संबंध में कोई कठोर और तेज़ नियम नहीं हो सकता है। हालांकि, कम से कम सात दिनों के समय को आम तौर पर उचित और पर्याप्त माना जा सकता है।

23. अंत में, हम विद्वान न्यायमित्र श्री लूथरा द्वारा दी गई सहायता के लिए अपनी सराहना और आभार व्यक्त करते हैं और अनुरोध करते हैं वह अन्य मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए इस न्यायालय की सहायता करेगा जैसा कि आदेश खण्ड 5 में उल्लेख किया गया है।

मध्य प्रदेश राज्य [उदय उमेश ललित, जे.]

इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 12.12.2018 और 10.12.2019, जिसके लिए ए

इन मामलों को उपयुक्त पीठ के समक्ष 18.02.2020 पर सूचीबद्ध किया जाए।

24. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, मूल अपीलों का निपटारा किया जाता है, लेकिन मामले को निर्देश के अनुसार 18.02.2020 पर सूचीबद्ध किया जाना चाहिए।

निधि जैन